वार्षिक प्रतिवेदन
2007-2008

NIEPMD

राष्ट्रीय बहु विकलाँग व्यक्ति अधिकारिता संस्थान

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार)
ईस्ट कोस्ट मार्ग, मुत्तुकाडु, कोवलम डाक, चेन्नै - 603 112.
दूरभाष : 044-27472113, 27472104 फैक्स : 044-27472389
ई.मेल : niepmd@gmail.com वेबसाइट : www.niepmd.tn.nic.in

वार्षिक प्रतिवेदन
2007-08

NIEPMD

राष्ट्रीय बहु विकलाँग व्यक्ति अधिकारिता संस्थान

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार)

ईस्ट कोस्ट मार्ग, मुत्तुकाडु, कोवलम डाक, चेन्नै - 603 112.

दूरभाष : 044-27472113, 27472104 फैक्स : 044-27472389

ई.मेल : niepmd@gmail.com वेबसाइट : www.niepmd.tn.nic.in

दूर दृष्टि

बहुविकलॉग लोगों को बेहतर जीवन जीने का अधिकार है । यह वचनबद्ध व्यावसायिकता, सुलभ पर्यावरण, समान अवसर, सकारात्मक मनोवृत्ति तथा समुचित, देने योग्य, स्वीकार योग्य और उपलब्ध प्रौद्योगिकीय मध्यस्थताओं के द्वारा हासिल कराया जाना चाहिए ।

मिशन

टीम अभिगम सरल अंतर्वेशन, बहु-विकलॉग व्यक्तियों की अनुवर्ती अधिकारिता और उनके परिवारों को प्रमाणीकृत क्षेत्र आधारित अनुसंधान और मानव संसाधन विकास के द्वारा आवश्यकता आधारित व्यापक पुनर्वास प्रदान करना ।

मूल्य विवरणी

पीडितों, परिवारों, व्यावसायिकों और सामुदायिक अभिकरणों की समान रुप से प्रतिभागिता द्वारा बहु विकलॉग व्यक्तियों के जीवन की गुणता का उन्नयन होगा ।

विषय सूची

वर्णन **पुष्ठ सं**

राष्ट्रीय बहु विकलॉग व्यक्ति अधिकारिता संस्थान, संगठनात्मक चार्ट

अध्याय

1. भूमिका 05
2. उद्देश्य 09
3. मानव संसाधन विकास 10
4. अनुसंधान एवं विकास 14
5. सेवाएँ 16
6. विशेष शिक्षा केन्द्र 25
7. विस्तारण एवं अभिगम कार्यक्रम 31
8. राष्ट्रीय बहु विकलॉग अधिकारिता संस्थान की उपलब्धियॉं 35
9. प्रशासन 38
10. वार्षिक लेखे और लेखा परीक्षा रिपोर्ट 43

अनुलग्नक

क. सामान्य परिषद के सदस्यों की सूची 72

ख. कार्यपालक समिति के सदस्यों की सूची 74

ग. शैक्षणिक समिति के सदस्यों की सूची 75

अनुबंध

1. वर्ष 2007-08 के दौरान डीएसई (प्र.प.) पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा करके परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की सूची । 76
2. वर्ष 2007-08 के दौरान डीएसई (ब.अं.) पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा करके परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की सूची । 76
3. 2007-08 अवधि के दौरान भरे गये नियमित पदों के ब्यौरे 77
4. डीएसई (प्र.प.) का पाठ्यक्रम 78
5. डीएसई (ब.अं.) का पाठ्यक्रम 79
6. लघु-अवधि प्रशिक्षण कार्यक्रम (2007-08) 80

राष्ट्रीय बहु विकलाँग व्यक्ति अधिकारिता संस्थान, संगठनात्मक चार्ट

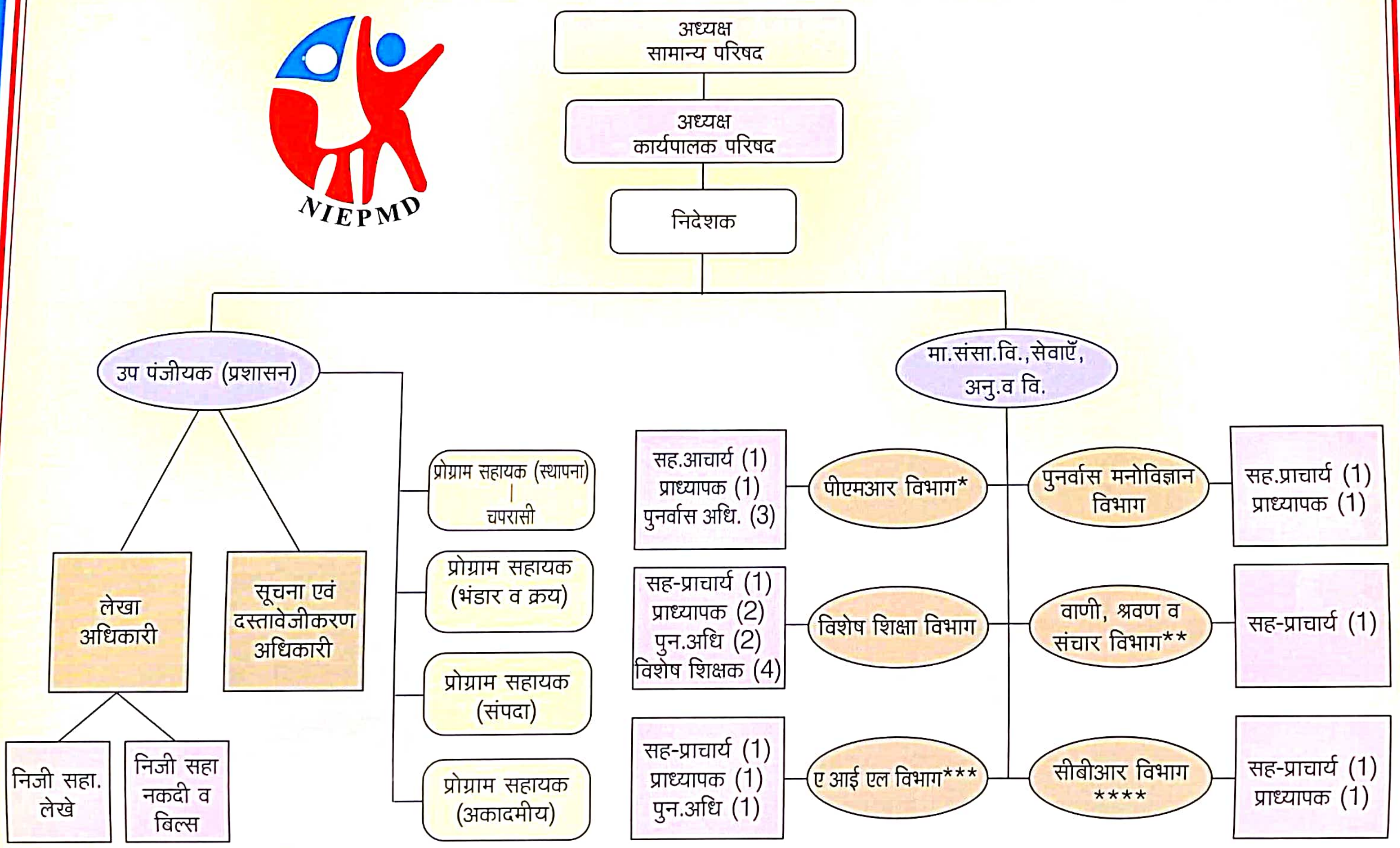

कुंजी : पीएमआर* (भौतिक औषध एवं पुनर्वास), एसएचसी** (वाणी, श्रवण एवं संचार),
ए आई एल*** (वयस्क स्वतंत्र रहन-सहन), सीबीआर**** (समुदाय आधारित पुनर्वास)

अध्याय - 1

भूमिका

संसार में 500 अरब से भी अधिक लोग शारीरिक, संवेदी या मानसिक अक्षमताओं से ग्रस्त हैं । उनका जीवन, अकसर शारीरिक और सामाजिक अवरोधों द्वारा विकलॉग हो जाता है जिसकी वजह से समाज में उनकी संपूर्ण भागीदारिता रुक जाती है । विकलॉगताएँ उसी दिन से अस्तित्व में आ गयी थीं, जिस दिन से मानवता का प्रादुर्भाव हुआ था । समाज में संपूर्ण प्रतिभागिता के लिए विकलॉगता क्रियात्मक क्षमता, अंतर और अवसरों पर प्रतिबंध लगाती है । क्रियात्मक सीमांतों और सामाजिक भेदभाव के कारण विकलॉगता व्यक्ति के लिए उपलब्ध पसंद की प्रकार को संकरा बना देती है ।

आधुनिकीकरण और शहरीकरण उग्र-सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों के रूप में परिणत हुए हैं और पारंपरिक पारिवारिक और बंधुत्व सुरक्षा को समाप्त कर परिणामस्वरूप नये विवादों और तनावों को उत्पन्न किया है । सामाजिक सुरक्षा उपाय का सबसे बड़ा उद्देश्य व्यक्तियों और परिवारों को यह विश्वास दिलाना है कि उनके जीवन का स्तर और जीवन की गुणवत्ता, सामाजिक या आर्थिक घटनाओं द्वारा लुप्त नहीं होगी । विकलॉगताओं से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए पुनर्वास सेवाओं, स्वतंत्रता के बाद एक संगठित आंदोलन के रूप में शुरू किया गया था । पारंपरिक अभिगम में पुनर्वास की प्रक्रिया तादात्मकता के साथ थी जबकि वर्तमान समकालिक अभिगम में यह व्यावसायिकता के साथ है । संस्थागत संरचना में अपूर्व उत्थान हुआ है और विकलॉगताओं से पीड़ित लोगों की अधिकारिता की प्रोन्नति के प्रति वचनबद्धता का पुनर्समर्थन है ।

भारत विकासशील देश है और इसका सामाजिक ताना-बाना बंधन, सामाजिक-सांस्कृतिक, धार्मिक, भौगोलिक, वातावरणिक और जनसांख्यिकीय भेदभावों से संबद्ध है । यह हाशियागत और कम प्रमुखतावाले वर्ग से संबंधित विषयों के संदर्भ में अधिक ही उल्लेखनीय है । आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद, भारत की दृष्टि सर्वतोमुखी वर्धन पर है और वह 2020 (क्यू आर आई) तक विकसित देशों के वर्ग में पहुँच जाने का आकॉक्षी है। इन महत्वाकॉक्षी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विकलॉगताओं से पीड़ित लोगों सहित समाज के सभी वर्गों के लोगों को विकासशील देशों की प्रक्रिया में शामिल किया जाना होगा ।

गत दो दशकों से भारत सरकार विकलॉगताओं से पीड़ित लोगों के कल्याण की समाभिरुपकता, अधिकारिता और उन्हें अवसरों और अधिकारों को प्रदान करने के लिए ज्यादा ही उत्साही है । प्रतिभागिता और समाज की मुख्य धारा से संबंधित समस्याओं का समाधान ढूँढा जा रहा है । केन्द्र, राज्य और जिला स्तर पर गुणतायुक्त परिवर्तन और विस्तृत आवरण समाभिरुपकता, अंतर-संप्रदाय, अंतर और अंतरा बहु संप्रदाय जैसी समस्याओं का समाधान ढूँढा जा रहा है । 1951 से चली आ रही पंचवर्षीय योजनाओं में विकलॉगताओं से पीड़ित लोगों के कल्याण और अधिकारिता के लिए विभिन्न नीतियों, कार्यक्रमों और योजनाओं को अमल में लाया जा रहा है ।

भारत सरकार ने विकलॉगता के हर वर्ग के लिए विशेष राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना की है । तदनुसार निम्नलिखित संस्थान स्थापित किये गये :

1. राष्ट्रीय दृष्टि बाधित विकलॉग संस्थान, देहरादून ।
2. राष्ट्रीय हस्थि विकलॉग संस्थान, कोलकता ।

3. राष्ट्रीय मानसिक विकलाँग संस्थान, सिकंदराबाद ।
4. राष्ट्रीय श्रवण विकलाँग संस्थान, मुंबई ।
5. राष्ट्रीय पुनर्वास, प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, कटक
6. शारीरिक विकलाँग संस्थान, नई दिल्ली ।

यद्यपि संपूर्ण संरचना और मानवशक्ति के साथ उपर्युक्त संस्थानों की स्थापना की गयी थी, परंतु लक्ष्य वर्ग विकलाँगता का एक खास वर्ग था, अर्थात् एकल विकलाँगता । इतना सब कुछ होने पर भी यह देखा गया है कि बहु विकलाँगताओं के क्षेत्र में कोई केंद्रित अभिगम नहीं था ।

भारत सरकार ने बहु- विकलाँगतावाले लोगों की बढती आवश्यकताओं को देखा और बहु- विकलाँगता से पीड़ित लोगों की अधिकारिता को प्रोन्नत करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सेवा-माडलों के विकास के लिए एक विशेष संस्थान की स्थापना की तत्काल आवश्यकता महसूस की । राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1991 के अध्याय (1) की धारा 2 की शर्त (एच) के अनुसार बहु- विकलाँगता यानी धारा (2) के खंड (1) में की गयी व्याख्या के अनुसार एक या अधिक विकलाँगताओं वाले व्यक्तियों (समान अवसर, अधिकारों और संपूर्ण प्रतिभागिता का संरक्षण) अधिनियम, 1995 (1996 का 1) का संयोजन ।

उदाहरण : मानसिक मंदन के साथ श्रवण विकलाँगता; मानसिक मंदन के साथ दृष्टि विकलाँगता; बधिरता के साथ अंधत्व ।

<u>बहु विकलाँगताओं का दृष्टिलेख</u>

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के सर्वेक्षण के अनुसार सभी विकलाँग लोगों में 10.63% लोग एक से अधिक प्रकार की विकलाँगता से पीड़ित हैं । राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के अनुसार विभिन्न प्रकार की विकलाँगताओं के घटने की दर नीचे दी जाती है; **(बहु विकलाँगता वाले लोगों की संख्या प्रति 1000 विकलाँग व्यक्तियों में से विकलाँगता के अनुसार)**

प्रति 1000 विकलाँगों में से विकलाँग के प्रकार के अनुसार बहु-विकलाँगता से ग्रस्त विकलाँगों की संख्या:

अखिल भारतीय

ग्रामीण + शहरी

विकलाँगता का प्रकार	विकलाँगता का प्रकार									बहु विकलाँगता वाले लोग	
	मानसिक मंदन	मानसिक रोग	अंधत्व	कमजोर दृष्टि	श्रवण	वाणी	लोको मोटर	3 या अधिक विकलाँगताएँ	कुल	अनुमानित	प्रतिदर्श
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
					पुरुष						
मानसिक रोग	x	x	68	19	56	224	344	289	1000	688	380
अंधत्व	14	34	x	x	486	20	301	145	1000	1382	538
कमजोर दृष्टि	24	21	x	x	486	19	326	125	1000	614	254
श्रवण	2	6	106	47	X	625	98	115	1000	6311	2862
वाणी	71	0	4	2	565	x	172	186	1000	6982	3510
लोकोमोटर	69	46	78	38	116	229	213	210	1000	4085	1983
					स्त्रियाँ						
मानसिक मंदन	x	x	11	7	25	288	202	467	1000	1059	600
मानसिक रोग	x	x	65	31	97	146	356	305	1000	582	303
अंधत्व	7	23	x	x	459	9	321	181	1000	1657	636
कमजोर दृष्टि	10	24	x	x	520	22	319	106	1000	768	310
श्रवण	5	10	133	70	X	555	84	145	1000	5741	2447
वाणी	59	0	3	3	615	x	118	202	1000	3303	1392
लोकोमोटर	56	52	134	63	1222	156	158	259	1000	3303	1392
					लोग						
मानसिक मंदन	x	x	12	8	15	301	215	449	1000	2674	1551
मानसिक रोग	x	x	67	24	75	188	349	296	1000	1270	683
अंधत्व	10	28	x	x	472	14	312	164	1000	3039	1174
कमजोर दृष्टि	16	22	x	x	505	21	322	114	1000	1382	564
श्रवण	3	8	119	58	X	592	91	129	1000	12052	5309
वाणी	66	0	4	2	586	x	149	193	1000	12160	5922
लोकोमोटर	63	49	102	49	119	198	189	231	1000	7388	3375

(स्रोत: एनएसएसओ 58वाँ चक्र, जुलाई-दिसंबर, 2002, भारत में अक्षमता ग्रस्त लोग, रिपोर्ट सं.485 (58/26/1))

बहु विकलॉगताओं से पीड़ित व्यक्ति अतिरिक्त विकलॉगता का दबाव सहता है जिससे उसके दैनिक जीवन, वार्तालाप, पर्यावरण और समाज के साथ उसकी कार्यात्मक कुशलता प्रबल रूप से घट जाती है । बहु- विकलॉगताओं वाला व्यक्ति, सिंगल विकलॉगता वाले व्यक्ति की तुलना में बहुत बडी चुनौतियों और अवरोधों का सामना करता है । चूँकि विकलॉगता बहुल है, उसी प्रकार उसकी चुनौतियाँ और अवरोध भी बढते जाते हैं । बहु विकलॉगताओंवाले व्यक्ति, विकलॉगता खंडों के भीतर भी बेशक हाशियागत और नकारे गये वर्गों में होते हैं ।

हाल ही के वर्षों में बहु विकलॉगताओं के लिए सेवाएँ आरंभ हुई हैं, अभिगम भी इस तथ्य के कारण संतृप्त बिन्दु के आगे भी नहीं जाता, कि बहु- विकलॉगताओं वाला क्षेत्र ऐसा है जहाँ कपटपूर्ण पक्षों को खोज निकालना होता है । यद्यपि बहु विकलॉगताओंवाले व्यक्तियों के प्रबंधन में जानकारी में रहनेवाले महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं: संचार, संज्ञान, गतिशीलता और सामाजिकता और इसके अलावा कई ऐसे पक्ष भी हैं जिनके समाधानों का बहु विकलॉगतावाले लोगों की अधिकारिता के कार्य की और ठोस युक्ति बनाने के लिए आयोजना करनी होती है । आम तौर से वे न केवल चिकित्सीय संरक्षण चाहते हैं बल्कि उनके जीवनों को हँसमुख तथा उनकी क्रियाओं को जहाँ तक संभव हो स्वतंत्र बनाना होता है । कुछ अहम सेवाएँ प्रदान करना आवश्यक और गैर-सौदेबाजी के हैं तो कुछ सेवाएँ तेज गति के विकास के लिए समर्थन के लिए है । बहु विकलॉगतावाले लोगों को सेवाएँ प्रदान करने की मौजूदा डिलिवरी प्रणाली में से कोई भी आपस में विशेष नहीं है । वास्तव में बहु- विकलॉगतावाले लोग सेवा डिलिवरी के सम्मिश्र मॉडलों को चुनते हैं और जो वैयक्तिक आवश्यकताओं को अधिकतम लचीलापन प्रदान करते हैं जो सबसे अच्छी तरह जम जाते हैं ।

फिलहाल, बहु- विकलॉगताओंवाले लोगों की सेवाओं के प्रति आयाम बहुत ही कम हैं, वास्तव में कुछ गैर- सरकारी संस्थाएँ बधिर-अंध और अन्य प्रकार की बहु- विकलॉगताओं के प्रति बहु विकलॉगताओं से पीडित लोगों के लिए बहु- विकलॉगताओं की बढती चुनौतियों के लिए वैज्ञानिक आधारित सेवा मॉडलों को प्रारंभिक पहचान से ही अधिक रास्ते स्थापित करने, मध्यस्थता करने, उचित शैक्षणिक सुविधाएँ, जहाँ तक संभव हो उनके जीवनों को हर संभव सीमा तक बहुविषयक मध्यस्थता के साथ मिलाकर प्रदान करने की आवश्यकता है ।

उपर्युक्त के प्रकाश में, बहु विकलॉगताओं वाले लोगों को बलशाली बनाने, समाज की मुख्यधारा में शामिल करने और उन्हें अधिकारिता प्रदान करने के लिए भारत सरकार, अपने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा काफी मेहरबान है और इसीलिए राष्ट्रीय-बहु विकलॉग अधिकारिता संस्थान नामक राष्ट्रीय संस्थान की 7 जुलाई, 2005 में स्थापना की । तमिलनाडु सरकार ने, ईस्ट कोस्ट रोड, मुत्तुकाडु गाँव, चेंगलपट्टु ताल्लुका, चेन्नै में कुछ संरचनाओं और भवनों के साथ 15.22 एकड जमीन आबंटित की है ।

संरचना में एक फैक्टरी शेड और बारह आवासीय संरचनाएँ मौजूद हैं, जिन्हें उपयुक्त रूप से मरम्मत करवाकर संस्थान के मानव संसाधन विकास तथा सेवाओं के कार्यक्रमों का आयोजन तथा रोगियों के लिए कुछ आवासीय पारिवारिक कॉटेजों, छात्रावासों और अतिथि गृहों आदि के लिए उपयोग में लाया जा रहा है । एनआईईपीएमडी के लिए आबंटित की गयी भूमि के चारों ओर चारदीवारी का निर्माण किया गया ।

राष्ट्रीय बहु-विकलॉग अधिकारिता संस्थान, तमिलनाडु सोसाइटीज पंजीकरण अधिनियम, 1975 (तमिलनाडु अधिनियम, 1975 का 27) क्र.सं.59/2006, चंगलपट्टु में दिनांक: 23 अक्तूबर, 2006 (सोसाइटीज के पंजीकरण का प्रमाण पत्र, अनुबंध-I पर) को पंजीकृत किया गया । अनुबंध-1

अध्याय - 2

उद्देश्य

संस्थान के संघ के ज्ञापन के अनुसार, राष्ट्रीय बहु विकलॉग अधिकारिता संस्थान के निम्नलिखित लक्ष्य और उद्देश्य हैं :

1. स्टेट ऑफ आर्ट पुनर्वास मध्यस्थता जैसे शिक्षा, चिकित्सीय, पेशेवर, रोजगार, फुर्सत और सामाजिक क्रियाकलापों, खेल-कूदों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और संपूर्ण प्रतिभागिता और विभिन्न पहुँचों के विकास द्वारा जिसमें सामुदायिक पुनर्वास, परियोजना प्रबंधन और गैर सरकारी संगठन के क्षमता निर्माण आदि हैं के जरिए बहु विकलॉगतावाले लोगों की अधिकारिता के लिए अंतर-विषयक, बहु-विषयक और पार- विषयक क्रियाकलापों को आवरित करते विभिन्न क्रियात्मक क्षेत्रों में मानव संसाधन विकास कार्य करना है ।

2. सामाजिक पुनर्वास के लिए सोसाइटी जिसे संस्थान के नाम से जाना जाता है या गैर सरकारी संगठन द्वारा बहु-विकलॉगताओं से संबंधित सभी क्षेत्रों को प्रोन्नति के लिए अनुसंधान कार्य का संचालन करना तथा पार-विषयक माडलों और बहु-विकलॉगताओं से पीडित लोगों के अलग-अलग वर्गो की जरूरतों को पूरा करना ।

3. संस्थान या गैर सरकारी संगठनों द्वारा बहु-विकलॉगताओं वाले लोगों की शिक्षा, पुनर्वास, क्षमता निर्माण और स्वतंत्र रूप से रहने के सभी पक्षों का संचालन, प्रायोजन, समन्वयन या रिसर्च को आर्थिक सहायता देना ।

4. प्रारंभिक मध्यस्थता, प्रारंभिक बाल्यशिक्षा, विशेष शिक्षा, पेशेवर प्रशिक्षण और रोजगार, स्वतंत्र जीवन- यापन, सामुदायिक पुनर्वास और परियोजना प्रबंधन चिकित्सकों और अन्य कार्मिकों प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण और व्यावसायिकों और बहु विकलॉगताओं की अधिकारिता के क्षेत्र में प्रशिक्षण और संस्थान द्वारा आवश्यक समझे गये क्षेत्र पर और प्रायोजित करना है ।

5. बहु-विकलॉगतावाले व्यक्तियों की चिकित्सा और पुनर्वास और शिक्षा के किन्हीं पक्षों को प्रोन्नत करने प्रोटोटाइपों के निर्माण, गढन, अपनाने, प्रोन्नत करने या निर्माणों के लिए आर्थिक सहायता देने किसी या सभी सहायक सामग्रियों के सभी पक्षों का अभिकल्पना और प्रोन्नति करना है ।

संस्थान के उद्देश्यों का सारांश:

- बहु विकलॉगताओं से पीडित व्यक्तियों के प्रबंधन प्रशिक्षण, पुनर्वास, शिक्षा, रोजगार और सामाजिक विकास के लिए मानव संसाधन विकास कार्य करना ।
- बहु विकलॉगताओं से संबंधित सभी क्षेत्रों को प्रोन्नत करना और अनुसंधान का संचालन करना है ।
- बहु विकलॉगताओं वाले लोगों के अलग-अलग वर्गो की आवश्यकताओं को पूरा करने सामाजिक पुनर्वास के लिए पार-विषयक आदर्शों और युक्तियों का विकास करना ।
- बहु विकलॉगतावाले लोगों के लिए सेवाएँ और अभिगम कार्यक्रम करना ।

अध्याय - 3

मानव संसाधन विकास

संस्थान के उद्देश्यों में मुख्य है बहु विकलाँगताओं के क्षेत्र में मानव संसाधन को विकसित करना । राष्ट्रीय बहुविकलाँग व्यक्ति अधिकारिता संस्थान ने भारतीय पुनर्वास परिषद के सहयोग से प्रशिक्षण कार्यक्रम / पाठ्यक्रमों को आरंभ किया है । मार्च, 2007 की स्थिति के अनुसार आर.सी.आई के अंतर्गत पंजीकृत व्यावसायिक वर्ग के 8286 लोग; कार्मिक वर्ग के अंतर्गत 23192 (दोनों वर्गों में कुल पंजीकृत व्यक्ति 31478) हैं, आरसीआई के पास पंजीकृत पुनर्वास व्यावसायिकों की संख्या पर्याप्त होने के बावजूद विकलाँगताओं से पीडित लोगों के लिए काम करने वाले व्यावसायिकों की कमी है जो बहु-विकलाँगताओंवाले लोगों के बारे में और भी अधिक कम है । मानव संसाधन की विकसित हो रही आवश्यकता के बढते रहने के कारण संस्थान ने दीर्घकालिक और लघु-अवधि पाठ्यक्रमों को आरंभ किया है । इस कार्यक्रम में डिप्लोमा स्तर के दो दीर्घकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल हैं:

2007-08 के दौरान रा.ब.वि.अ.संस्थान के मानव संसाधन विकास कार्यक्रमों के ब्यौरे

क्रम	पाठ्यक्रम का नाम	पात्रता प्रक्रिया	द्वारा मान्यता	पाठ्यक्रम की अवधि	चयन प्रक्रिया	सीटों की संख्या	नामित
1.	विशेष शिक्षा में डिप्लोमा (प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात)	10+2 पास	आरसीआई	1 वर्ष	अर्हता प्राप्त परीक्षा में प्राप्त अंक और साक्षात्कार में निष्पादन तथा भारत सरकार की नीति व नियमों के अनुसार आरक्षण नीति का अनुपालन	10	10
2.	विशेष शिक्षा में डिप्लोमा (बधिर-अंध)	10+2 पास	आरसीआई	1 वर्ष		10	10

3.1 विशेष शिक्षा में डिप्लोमा (प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात)

उक्त पाठ्यक्रम वर्ष 2006-07 में शुरु किया गया । इसका उद्देश्य था प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात / बधिर अंधत्व और अतिरिक्त विकलाँगताओं से पीडित रोगियों को पढाने और साथ ही प्रशिक्षण देने के लिए विशेष शिक्षकों को तैयार करना ताकि वे अतिरिक्त विकलाँगताओं वाले लोगों को जीवन में हर प्रकार से और जहाँ तक संभव हो सके उनके जीवन-यापन को सरलता से स्वतंत्रता प्रदान कराना है । पाठ्यक्रम में चिकित्सीय, मनोवैज्ञानिक, इलाज, शैक्षिक, संचारीय और पेशेवर क्षेत्रों के पक्ष शामिल हैं । विद्यार्थियों को संस्थान द्वारा समय-समय पर आयोजित विभिन्न कैंपों और अभिगम कार्यक्रमों में काम करने के अवसर प्रदान किये गये । अपने पाठ्यक्रम के दौरान उन्हें चेन्नै और देश के अन्य स्थानों पर बहु विकलाँग बच्चों के लिए कार्य कर रहे विभिन्न संस्थानों में ले जाया गया है ।

3.2 विशेष शिक्षा डिप्लोमा (बधिर-अंध)

उक्त पाठ्यक्रम वर्ष 2006-07 में इस उद्देश्य से आरंभ किया गया कि बधिरता और अंधत्व से पीडित लोगों को उनके जीवनयापन में स्वतंत्रता के लिए हर संभव प्रयास द्वारा उन्हें पढाने और साथ ही साथ प्रशिक्षण देने के लिए विशेष शिक्षकों को प्रोन्नत करना था। इस पाठ्यक्रम में प्रवेश की अर्हता 10+2 सफलतापूर्वक पूरा करना, किसी भी शिक्षा बोर्ड से समस्तरीय सामान्य शैक्षणिक परीक्षा उत्तीर्ण लोगों का चयन बोर्ड की परीक्षा में उत्तीर्ण (10+2) के प्राप्तांकों पर, तथा बाद में विशेषज्ञों के पैनल द्वारा आयोजित चयन के आधार पर प्रवेश मिलता है। पाठ्यक्रम में विभिन्न पक्ष जैसे मनोवैज्ञानिक, औषधीय, चिकित्सीय, संचार और पेशे से संबंधित कई क्षेत्रों के विषय शामिल किये हुए हैं। अब तक 10 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है जो देश-विदेशों के विभिन्न विशेष स्कूलों में काम कर रहे हैं। उन्हें संस्थान द्वारा समय-समय पर आयोजित विभिन्न कैंपों और अभिगम कार्यक्रमों में काम करने के अवसर प्रदान किये गये थे। पाठ्यक्रम के दौरान उन्हें विभिन्न संस्थानों में ले जाया गया जो बधिर-अंध बच्चों के लिए चेन्नै और देशभर में काम कर रहे हैं। अब तक 10 उम्मीदवारों को इस क्षेत्र में प्रशिक्षित किया गया जो अपने देश के विभिन्न भागों में सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। यह कार्यक्रम बधिर अंध बच्चों के शैक्षणिक और चिकित्सीय मूल्य-निर्धारण पर फोकस करता है। पाठ्यक्रम के दौरान उन्हें प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात के बच्चों के चेन्नै तथा देश के अन्य भागों में काम कर रहे विभिन्न संस्थानों का दौरा कराया गया।

कक्षा का सत्र

3.3 लघु अवधि अभिमुखीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम (एसओटीपी)

राष्ट्रीय बहुविकलॉग अधिकारिता संस्थान ने ज्ञान को अद्यतन करने और बहु विकलॉगता के क्षेत्र में चालू प्रवृत्तियों पर फोकस डालने के उद्देश्य से पुनर्वास के क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों के लिए विभिन्न लघु अवधीय अभिमुखीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया है। वर्ष के दौरान ऐसे चार एसओटीपी यों का आयोजन किया गया, जहॉं 76 व्यावसायिकों ने प्रतिभागिता ली और लाभान्वित हुए।

निरंतर शिक्षा कार्यक्रम (सीआरई)

शैक्षणिक वर्ष 2007-08 के दौरान निम्नलिखित सीआरई कार्यक्रम चलाये गये जिनके द्वारा 174 प्रतिभागी लाभान्वित हुए :

1. बधिर अंध बच्चों के लिए क्लास रुम प्रबंधन ।
2. प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात वाले बच्चों के लिए विशिष्ट अभिगम और तकनीकियाँ ।
3. बहु-विकलॉंगता पर अभिमुखीकरण और जागरुकता
4. प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात से पीडित बच्चों में मोटर क्रियाओं के विकास के लिए सरलीकरण तकनीकियाँ ।
5. बहु-विकलॉंगतावाले लोगों के लिए पाठ्यक्रम और अनुदेश ।
6. बहु विकलॉंगता से पीडित व्यक्तियों का आचरणीय प्रबंधन
7. बहु विकलॉंगता से पीडित लोगों का चिकित्सीय प्रबंधन ।

अब तक सीआरई कार्यक्रम के अंतर्गत 250 लोग प्रशिक्षित हुए ।

चालू प्रशिक्षण कार्यक्रम

3.4 अभिभावक प्रशिक्षण कार्यक्रम (पीटीपी)

राष्ट्रीय बहु विकलॉंग अधिकारिता संस्थान में बहुविकलॉंग बच्चों के पालकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया गया। यह प्रशिक्षण उन बच्चों के अपने स्वयं की निगरानी और स्वतंत्र जीवनयापन अपनाने के बारे में था । यह कार्यक्रम 19 और 20 फरवरी, 2008 के दौरान चलाया गया । इस कार्यक्रम में 22 प्रतिभागियों ने भाग लिया । अभिभावकों के साथ आपस में हुए महत्वपूर्ण वार्तालाप के विषय एडीएल प्रशिक्षण, स्वतंत्र रूप से जीने की संकल्पना, अभिभावकों की भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ, गृह आधारित कार्यक्रम और प्रारंभिक मध्यस्थता का महत्व आदि थे ।

क्रम सं.	शीर्षक	तिथि	प्रतिभागियों की संख्या
1.	वरंगल, खम्मम और करीमनगर जिलों मे पालकों के प्रशिक्षण का कार्यक्रम	4 व 5 दिसंबर, 2007	127
2.	स्वतंत्र जीवन के लिए स्वयं सुरक्षा और व्यापकता	19 व 20 फरवरी, 2008	22
3.	टेर्डस होम के पालकों के लिए कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम	22 फरवरी, 2008	118

कार्यशालाओं / संगोष्ठियों में भाग लेनेवाले संकाय / स्टाफ सदस्य :

1. डॉ. नीरदा चन्द्रमोहन और श्री धनवेंदन ने दिनांक: 4 जून से 29 जून, 2007 तक एनआईईपीएमडी में बधिर-अंध बच्चों का क्लासरूम प्रबंधन विषय पर संचालित कार्यशाला में भाग लिया ।

2. डॉ. विजयलक्ष्मी और डॉ. प्रज्ञा वर्मा ने बधिर अंधत्व से पीडित बच्चों का भावात्मक विकास विषय पर सेन्स, इंटरनेशनल, नई दिल्ली में दिनांक: 21 अगस्त से 24 अगस्त, 2007 तक प्रदर्शन कार्यक्रम में भाग लिया ।

3. श्री राजेश ने दिनांक: 7 सितंबर से 8 सितंबर, 2007 तक एमआईटी, चेन्नै में पुस्तकालय उपयोगकर्ता -सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर्यावरण पर प्रशिक्षण में भाग लिया ।

4. श्री बी.एस.संतोष कन्ना ने स्पैस्टिन, चेन्नै में दिनांक:20 सितंबर से 21 सितंबर, 2007 तक ब्रेथ एंड वाक्द एनडीटी-वे विषय पर कार्यशाला में भाग लिया ।

5. श्री यू.सुनिल कुमार ने 19 सितंबर से 21 सितंबर, 2007 तक सरकारी प्रापण कार्यविधियॉ और नीतियॉ विषय पर सीटी एंड एसआर, नई दिल्ली में आयोजित प्रशिक्षण में भाग लिया ।

6. श्री राजेश ने आईएसईआरटी, नई दिल्ली में सूचना अधिकार अधिनियम-2005 विषय पर आयोजित कार्यशाला में दिनांक: 16 नवंबर से 17 नवंबर, 2007 तक भाग लिया ।

7. श्री पी.एस.श्रीनिवास ने मधुरम नारायण सेंटर, चेन्नै द्वारा दिनांक: 13 से 16 दिसंबर, 2007 तक आयोजित प्रारंभिक मध्यस्थता पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया ।

8. डॉ. नीरदा चन्द्रमोहन और श्री बिश्नोई ने अलिमको, कानपुर में दिनांक: 30 व 31 जनवरी, 2008 को विकलॉगों के लिए सहायक सामग्रियॉ और उपकरणों पर हाई-पावर समिति के प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया।

9. श्री जे.वी.सुब्बुरामन और श्री देवेन्द्र प्रसाद ने दिनांक: 23 से 25 जनवरी, 2008 को ओप्सी, हैदराबाद में आर्थोटिक और प्रोस्थेटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया के 18वें राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया ।

10. श्री पी.एस.श्रीनिवास ने दिनांक: 1 से 3 फरवरी, 2008 तक भारतीय वाणी और श्रवण एसोसिएशन, इशाकॉन के 40वें वार्षिक सम्मेलन, मेंगलूर में भाग लिया ।

11. डॉ.एम.टोमी ने दिनांक: 9 से 11 फरवरी, 2008 तक आईआईआईटी, अहमदाबाद द्वारा नई दिल्ली में आयोजित आईसीटी के जरिए अलग रूप से योग्यता की अधिकारिता विषय पर कार्यशाला में भाग लिया ।

12. डॉ.पी.कामराज और श्री राजेश रामचन्द्रन ने नई दिल्ली में दिनांक: 1-2 मार्च, 2008 को पुनर्वास व्यावसायिकों का भारतीय संघ, वाराणसी, उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित 2रा राष्ट्रीय पुनर्वास विज्ञान कॉग्रेस में भाग लिया।

13. डॉ. विजयलक्ष्मी ने सेन्स इंटरनेशनल और होलिक्रास सर्विस सोसाइटी द्वारा दिनांक: 5 मार्च, 2008 को आयोजित बधिर-अंध प्रौढ के लिए अडवोकसी सेवाएँ और व्यावसायिक पुनर्वास पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया ।

14. डॉ. विजयलक्ष्मी ने दिनांक: 22 मार्च, 2008 को शंकर नेत्रालय, चेन्नै द्वारा अशर्स सिंड्रोम के निदान संदर्भ और पुनर्वास विषय पर आयोजित कार्यशाला में भाग लिया ।

अध्याय - 4

अनुसंधान और विकास

4.1 पूर्व अनुसंधान

संस्थान ने वर्ष 2006-07 के दौरान बहु विकलाँग लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति और आवश्यकताएँ शीर्षक से अनुसंधान परियोजना आरंभ की। यह अध्ययन चेंगलपट्टु ताल्लुक के तिरूप्पोरूर खंड, काँचीपुरम जिला, तमिलनाडु में संचालित किया गया था। प्रतिदर्श सैंपल में 60 परिवार थे जिनमें बहु-विकलाँगतावाले लोग थे। अध्ययन, बहु विकलाँगतावाले लोगों के रेखाचित्र, सेवाओं की उपयोगिता, सामुदायिक प्रतिभागिताएँ और उनकी अपनी अक्षमताओं को समझने के स्तर के आधार पर बनाया गया था।

अध्ययन के परिणाम

सैंपल अध्ययन के, बहु-विकलाँगतावाले व्यक्तियों में 57% पुरुष और 43% महिलाएँ हैं। इस अध्ययन में बहु-विकलाँगतावाले व्यक्तियों में 64% लोग मानसिक मंदन के साथ प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात से, आत्मविमोह (ऑटीज्म) के साथ मानसिक मंदन 14%, वाणी और श्रवण विकलाँगता के साथ कमजोर दृष्टि 14% और बाकी अन्य बहु-विकलाँगताओं के संयोजन के 8% लोग थे। इससे पता चलता है कि बहु-विकलाँगताओंवाले व्यक्तियों के बीच मानसिक मंदन के साथ प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात के संयोजन की संख्या अधिक है।

बहु विकलाँगताओंवाले व्यक्तियों की आवशयकताएँ :

नजदीकी क्षेत्रों के लोगों में से 57% ने बहु विकलाँगतावाले लोगों के लिए उपयुक्त सेवाओं की आवश्यकता व्यक्त की, 22% लोगों ने आर्थिक सहायता, ऋणों, योजनाओं आदि के रूप में सरकारी समर्थन की आवश्यकता व्यक्त की तो शेष 21% लोगों ने सहायक सामग्रियों और उपकरणों की आवश्यकता व्यक्त की।

मूल्य-निर्धारण यह बतलाता है कि बहु-विकलाँगता वालों के परिवार पुनर्वास सेवाओं की आवश्यकताओं के प्रति जागरूक हैं। फिर भी, उनकी दयनीय आर्थिक स्थितियों, नजदीकी क्षेत्रों में सेवाओं की कमी और बहु- विकलाँगतावाले लोगों की आश्रितता (64% रोगी पूरी तरह आश्रित हैं) ही सेवाओं में भाग न लेने के प्रमुख कारण हैं।

अध्ययन यह भी बताता है कि 24% रोगी अनुसूचित जातियों के, 24% पिछडी जातियों के और केवल 14% अन्य जातियों के हैं जो यह दर्शाते हैं कि बहु-विकलाँगता समाज के अन्य समुदाय अति संवेदनशील है। अध्ययन से यह भी पता चला है कि बहु विकलाँगतावाले अधिकांश बच्चे 79% हैं जो छोटे परिवारों से आते हैं जबकि शेष 21% संयुक्त परिवारों से आते हैं। अध्ययन यह भी दर्शाता है कि बहु-विकलाँगताओं वाले लोगों के निगरानकारों ने बताया है कि उन्हें पडोसियों से शून्य सहारा मिलता है और 29% ने बतलाया है वे साफ तौर से संयुक्त परिवार प्रणाली में अधिक समर्थन और सुरक्षा मिलती है न कि छोटे परिवारों से।

बहु-विकलॉगतावाले परिवारों की आर्थिक स्थिति बताती है 57% परिवारों की सभी स्रोतों से मासिक आय 2500 रुपयों के रेंज में है और उनमें से 64% लोग असंगठित बेरोजगार परिवारों से है जैसे कृषि मजदूर और अकुशल मजदूर और 33% परिवारों की मासिक आय रु.2500-10,000 के रेंज में है । केवल 10% परिवारों की आय 10,000/- रु. या अधिक है ।

4.2 वर्तमान अनुसंधान कार्य

वर्ष 2007-08 के दौरान निम्न तीन अनुसंधान परियोजनाओं पर कार्य हो रहा है ।

4.2.1 रोगियों का बहु-विकलॉंगता के साथ बायो-केमिकल और न्यूरो निदान प्रोफाइल :

विभिन्न कारणों की वजह से पैदायशी बहु-विकलॉगता घटित हो सकती है । बायोकेमिकल अपसामान्यताओं, जनन या क्रोमोसोमल विपथगमन, प्रसूतिक, अंतर-प्रसूति या प्रसूति उपरांत, मस्तिष्क क्षति, मस्तिष्क में न्यूरो ट्रांस्मीटरों के स्तरों में परिवर्तन / बदलाव आदि सभी कारण बहु-विकलॉगता का कारण हो सकते हैं । यदि बहु-विकलॉगता के कारण स्थापित किये जा सकने हों तो विशिष्ट और संरक्षक उपायों का उपयोग किया जा सकता है । उक्त उद्देश्यों से उपर्युक्त अध्ययन किया गया है ।

4.2.2 बहु-विकलॉंगतावाले बच्चों में उनके सोने के तरीकों से और दिन प्रतिदिन की क्रियाओं में उसके प्रभाव :

छोटी उम्र के विकासशील विकलॉग बच्चों में सोने की समस्याएँ आम हैं और वे बच्चों और उसके पालकों दोनों पर दुष्प्रभाव डाल सकते हैं । प्रारंभिक भौतिक या मनोवैज्ञानिक प्रकृति की विकासीय समस्याएँ बच्चों में आम तौर से नींद में गडबडी का कारण होता है । इसकी मौजूदगी का दुष्प्रभाव संज्ञान, मूड, व्यवहार और पारिवारिक क्रिया पर विपरीत प्रकार से डालता है । इसलिए नींद की गडबडी का तत्पर और प्रभावी ढंग से ठीक-ठीक निदान करके समग्र निगरानी और इलाज आवश्यक माने जा सकते हैं ।

4.2.3 प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात (स्पैस्टिक क्वाड्रिप्लीजिया) से पीडित रोगियों के लिए वेंटिलेटरी पैटर्न, पैरामीटर और मध्यस्थता का मूल्यनिर्धारण :

प्रमस्तिष्कीय (स्पैस्टिक क्वाड्रिप्लीजिया) से ग्रस्त लोगों के वेंटिलेटर पैटर्न में बहुत बडे परिवर्तन हैं । उनके फेफडे के आयतन और अन्य फेफडा क्रिया पैरामीटर में अंकित परिवर्तन होते हैं । स्पैस्टिक क्वाड्रिप्लीजिया प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात में इसी प्रकार मोटर की कमी होती है, इसलिए उनके क्रियात्मक पैरामीटरों में क्या कोई आपसी समझौता है यह मालूम करने के लिए उनके वेंटिलेटर पैरामीटर के मूल्य निर्धारण की आवश्यकता पडती है। इस अध्ययन का मकसद क्वाड्रिप्लीजिया प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात के खास क्रिया संघटक पर प्रकाश डालने के लिए और यह मालूम करने के लिए कि क्या श्वसन क्रिया पर सावधानी के लिए कोई विशेष ध्यान दिया जाए ।

अध्याय - 5

सेवाएँ

5.1 सेवाएँ

संस्थान में सेवाएँ पंजीकरण के साथ और बहुविषयक व्यावसायिकों की टीम द्वारा रोग निर्धारण से शुरु होती हैं। इसमें आवश्यक पृष्ठभूमि की सूचना, चिकित्सीय, विकासीय, शैक्षिक, उपचारीय और पेशेवर मूल्य निर्धारण संचालन आदि इकत्रित करना शामिल है । वह विकलाँग बच्चों को प्रशिक्षण प्रदान करने तथा आवश्यकता आधारित मध्यस्थता कार्यक्रम विकसित किया गया है, विभिन्न स्तरों पर । बहु-विकलाँगता के 117 नये केस, 2007-08 के दौरान पंजीकृत किये गये । संस्थान के पास सिंगल विकलाँगतावाले 366 मामले पंजीकृत थे, जिनके लिए पुनर्वास सेवाएँ प्रदान की गयीं (जिनमें से 247 पुरुष और 119 महिला रोगी थे)।

स्क्रीनिंग और मार्गदर्शन

मानसिक अक्षमता से विभिन्न संयोजन के नये केसों की संख्या दर्शाती सारिणी

क्रम सं	एमडी वर्गीकरण	अप्रैल,07 - मार्च,08 के दौरान		कुल
		पुरुष	महिला	
1.	प्र.म.पक्षा + मानसिक मंदन	51	29	80
2.	प्र.प + बधिर	01	01	02
3.	प्र.प + आत्मविमोह	02	00	02
4.	मा.मंदन + दृष्टि विकलांग	02	01	03
5.	मा.मंदन + श्रवण विकलांग	03	01	04
6.	हड्डी के विकलांग + बधि	01	01	02
7.	आत्म विमोह + मा.मंदन	06	05	11
8.	आ.वि + अंध विकलांग	01	00	01
9.	अ.वि + मा.मंदन	04	04	08
10.	वी एच + एच एच	01	01	02
11.	एम आर + एम आई	01	00	01
12.	सी पी + वी एच	01	00	01
	कुल	**74**	**43**	**117**

सीपी - प्र.म.पक्षा, एमआर - मानसिक मंदन, एयू - आत्मविमोह, वीएच - दृष्टि विकलांग, एच - बधिर, ओएच - हड्डी के विकलांग, एमआई -मानसिक विकलांग

5.1.1 अनुवर्ती सेवाएँ

प्रारंभिक मूल्य निर्धारण के बाद रोगियों को उनकी आवश्यकता के अनुसार विभिन्न विभागों में विस्तृत मूल्य निर्धारण और प्रशिक्षण के लिए विभिन्न विभागों में भेजा जाता है । कौशल विकास के लिए समुचित सामग्रियों को तैयार करने पालकों को मार्गदर्शन दिया जाता है । वर्ष 2007-08 के दौरान बहु-विकलांगतावाले लोगों के लिए 19890 अनुवर्ती सत्र प्रदान किये गये, जिसके ब्यौरे नीचे दिये गये हैं ।

वर्ष 2007-08 के दौरान देखे गये रोगियों का अनुवर्तन

क्रम सं.	सेवा	2006-07	2007-08
1.	चिकित्सा	181	277
2.	बाल्यकालीन मध्यस्थता सेवाएँ	851	1236
3.	शारीरिक चिकित्सा	1708	3650
4.	व्यावसायिक चिकित्सा	1893	4143
5.	विशेष शिक्षा	2250	6538
6.	मनोवैज्ञानिक मध्यस्थता	424	527
7.	पालक से परामर्श	शून्य	533
8.	श्रवण और वाणी चिकित्सा	400	591
9.	संबेदी मध्यस्थता	865	1776
10.	व्यावसायिक प्रशिक्षण	619	

चित्र : अनुवर्तन सेवाओं को दर्शात बार

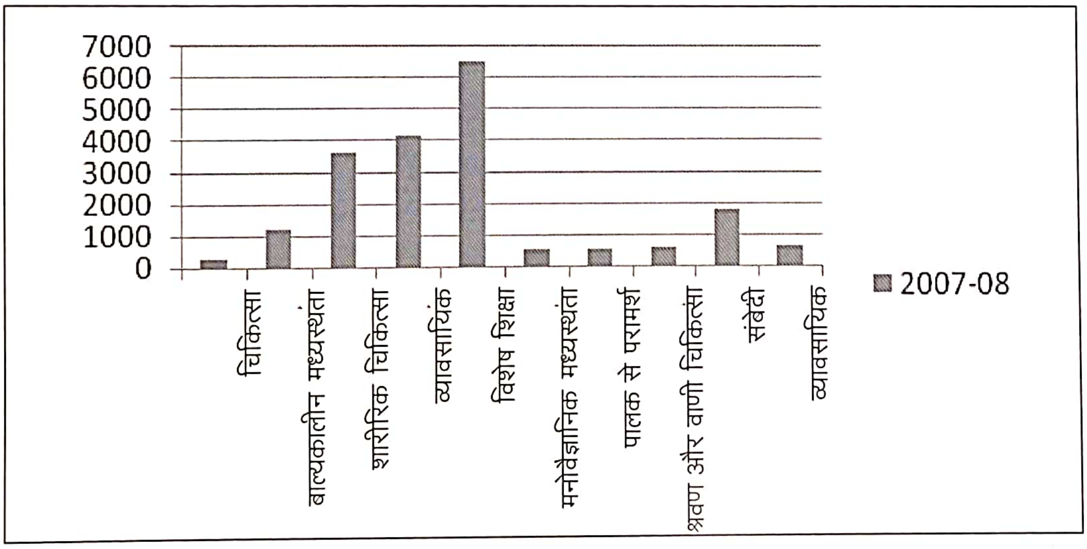

5.1.2 परिवार कुटीर सेवाएँ

कार्यान्वयन हेतु प्रबंधन की योजना के विकास द्वारा परिवार कुटीर सेवाएँ देने का लक्ष्य है गृह आधारित प्रशिक्षण । बहु विकलांगता से ग्रस्त दूर-दराज के स्थानों से आने वाले बच्चों के परिवारों को परिवार कुटीर सेवाएँ दी जाती हैं । इस सेवा का लक्ष्य, बच्चे की आवश्यकता के आधार पर पालकों को प्राथमिकतावाले लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक या दो सप्ताह तक प्रशिक्षण दिया जाता है । गृह आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम की अभिकल्पना करके उसके बाद विशेषज्ञों की टीम द्वारा व्यापक मूल्य-निर्धारण संचालित किया जाता है । यह कार्यक्रम बच्चों में कौशल विकसित करने के लिए पालकों के समक्ष प्रदर्शित किया जाता है ।

5.1.3 संदर्भित सेवाएँ

ऐसे मरीज जिन्हें हृदयरोग, न्यूरालॉजी, नेफ्रालॉजी, मनश्चिकित्सा, दंत और नेत्र चिकित्सा की आवश्यकता होती है उन्हें चेन्नै स्थित विभिन्न सुपर-स्पेशियालिटी अस्पतालों को संदर्भित किया जाता है। इसके अलावा, जो रोगी एक-अक्षमतावाले होते हैं उन्हें चेन्नै या आस-पास के विभिन्न विशेष स्कूलों या तदनुसार अन्य स्थानों को भेजा जाता है।

5.2 चिकित्सा सेवाएँ शारीरिक औषधि और पुनर्वास

एनआईईपीएमडी में पंजीकरण करवानेवाले रोगियों का भौतिक औषधि और पुनर्वास विभाग द्वारा चिकित्सीय या सर्जरी पक्षों में मूल्यांकन किया जाता है। यदि आवश्यक हुआ तो आगे के चिकित्सा अन्वेषणों और सर्जरी के मामलों में विभाग उन्हें संदर्भित करता है और इसके अलावा होलिस्टिक पुनर्वास आयोजना और प्रबंधन के लिए एनआईईपीएमडी के विभिन्न विशेषज्ञों की सेवाओं का उपयोग किया जाता है।

प्रथमोपचार और विभिन्न चिकित्सीय बीमारियों के लिए रोगियों को उनके परिवार के सदस्यों और सामान्य जनता और इसके अलावा रोगियों के लिए फार्मकालोजिकल मध्यस्थताओं सहित सीजर्स, उग्र या अपने को घायल करने के व्यवहार आदि का इलाज इस विभाग में किया जाता है। पीएमआर विभाग की भौतिक चिकित्सा, व्यवसायिक इलाज, संवेदी एकीकरण और प्रॉस्थेटिक और ऑरथेटिक इंजीनियरिंग विभाग इसके अंतर्गत आते हैं।

आरंभिक निदान के लिए चिकित्सा मूल्यांकन

5.3 प्रारंभिक मध्यस्था सेवाएँ

इस विभाग में 0 से 3 वर्ष के आयु के जोखिम में पडे अथवा विकासी देरी वाली बच्चों का पंजीकरण किया जाता हैं तथा बहुविषयक विशेषज्ञों द्वारा प्रारंभिक मध्यस्था सेवाएँ प्रदान की जाती हैं। विभिन्न विकासीय जॉच-सूचियों का उपयोग करते हुए, मोटर, स्वयं-सहायता, भाषा, संज्ञान और सामाजिक क्षेत्रों में विकास के विभिन्न पहलुओं के उपयोग द्वारा बच्चों का मूल्य-निर्धारण किया जाता है। गृह आधारित कार्यक्रम तैयार किया जाता है और पालकों / निगरानकारों को समझाया जाता है। खेल पद्धति के जरिए प्रेरणा पर ध्यान देने का उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है।

बहु-विकलाँगताओं वाले बच्चों के लिए प्रारंभिक मध्यस्थता

5.4 भौतिक चिकित्सा

भौतिक चिकित्सा स्वास्थ्य की देखरेख करनेवाला व्यवसाय है जिसमें स्थापित सैद्धांतिक आधार और विस्तृत चिकित्सालयीन अनुप्रयोग हैं जिनमें विशेषकर अधिकतम भौतिक क्रिया की रोकथाम, विकास और पुनर्संयोजन हैं। इसमें तीन बातें जैसे व्यायाम चिकित्सा, इलेक्ट्रो थेरपी और मालिश सम्मिलित हैं ।

प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात, विकासीय अक्षमताओं और हड्डी के रूप से विकलाँग अन्य रोगियों के लिए भौतिक चिकित्सा एकक सेवाएँ प्रदान करता है । इस एकक का लक्ष्य है - क्रियात्मकताओं में सुधार और दैनिक जीवन के क्रियाकलापों को विकसित करना । रोगियों को निरंतर अनुवर्ती सेवाएँ और परामर्श प्रदान किये जाते हैं। उपकरणों द्वारा मध्यस्थता में प्रगति के अंगरूप में ट्रेडमिल प्राप्त किया गया और इसे इलाज के क्षेत्र में उपयोग में लाया जा रहा है । शरीर के भार के सहारे ट्रेडमिल प्रशिक्षण अब न केवल प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात के रोगियों के लिए उपयोग में लाया जाता है, बल्कि दोहरी संवेदी अक्षमता बधिर अंध तथा सामान्य फिटनेस और सहन-शक्ति बढाने व अन्य अक्षमताओं के इलाज के

बहु-विकलाँगताओं वाले बच्चे को भौतिक प्रशिक्षण

लिए भी किया जाता हैं । इलेक्ट्रोथेरपी इलाज प्रोन्नत दर्द से छुटकारा दिलाने वाले मोडालिटीज रोगियों को दिये गये ताकि पुनर्वास प्रक्रिया का उपयोग किया जाए । रोगी शिक्षा, पालक शिक्षा और निगरानकार शिक्षा, इलाज का अभिन्न अंग है जो पालकों को सह-चिकित्सक बनाता है और पुनर्वास में तरक्की के पथ पर कदम बढवाता है ।

5.5 व्यावसायिक इलाज

व्यावसायिक चिकित्सा चयनित क्रियाशीलता के प्रति मनुष्य की कला और विज्ञान है जो स्वास्थ्य को प्रगति और अनुरक्षण, विकलॉगता को रोकने, व्यवहार का मूल्यांकन करने, और रोगियों को भौतिक या भौतिक अपक्रिया का इलाज करने या प्रशिक्षित करने के लिए है ।

व्यावसायिक इलाज सेवाओं का लाभ उठाने वाले रोगियों का आरंभिक मूल्यांकन होता है, और बाद में लक्ष्य निर्धारण और इलाज का कार्यान्वयन । इलाज का मुख्य ध्यान रोगी की क्रियात्मक योग्यताओं को सुधारने का लक्ष्य होता हैं, जिसमें शामिल हैं सकल मोटर और अच्छे मोटर कौशल दोनों भी-यानी विकासीय उन्नतियॉं संज्ञानीय-बोधात्मक योग्यताओं और दैनिक जीवन के कौशलों के क्रियाकलाप ।

विशाल व्यावसायिक चिकित्सा एकक के नीचे प्रारंभिक मध्यस्थता और संवेदी एकीकरण सेवाओं को संगठित किया है। आत्मविमोह और अन्य आत्मविमोह प्रतिबिंब उपद्रवों जैसे व्यापक विकासीय गडबडियों वाले मरीजों को संवेदी एकीकरण सेवाएँ प्रदान की जाती हैं । हस्त क्रिया करनेवाले औजार, चिकित्सा बॉल, सहारा और अनुकूली उपकरण, संवेदी एकीकरण उपकरण कुछ ऐसे उपकरण हैं जिन्हें रोगी की सेवा के लिए उपयोग में लाया जाता है । इन उपकरणों की आवश्यकतावाले रोगियों को खपची और अनुकूली उपकरण का उपयोग करवाया जाता है । खपचियों की फिटिंग, उन्हें पहनने का समय और उनका रखरखाव उन्हें समझाया जाता है । व्यावसायिक इलाज की सेवाओं का लाभ उठानेवाले रोगियों को उनकी बेहतरी के लिए गृह कार्यक्रम भी दिये जाते हैं ।

संवेदी दुष्क्रिया वाले बच्चों के लिए संवेदी एकीकरण इलाज

5.6 प्रोस्थेटिक और आर्थोटिक सेवाएँ

प्रास्थेसिस एवजी या शरीर के एक अंग जैसे: हाथ-पैर, दाँत, आँख, चेहरे की हड्डी, तालु, कूल्हा, घुटना या कोई अन्य जोड आदि की एवजी द्वारा पूरा करना है । इसे क्रियात्मक या कास्मेटिक या दोनों ही कारणों के लिए अभिकल्पित किया गया है । आर्थोसिस हड्डी संबंधी उपकरण है जिसका उपयोग सहारा जोड, बचाव, विकृतियों को हटाने या शरीर के हलचल करने वाले अंगों की क्रियात्मकता में सुधार करना है ।

रोगियों की आवश्यकतावाले विभिन्न प्रोस्थेटिक और आर्थोटिक सहायक सामग्रियों और उपकरणों को इस इकाई में ढाला जाता है । इसमें शामिल हैं हाथ के स्पिलिंट्स, तरमीमशुदा बूट्स, कैलिपर्स, कृत्रिम हाथ-पैर आदि । कृत्रिम अवयवों और कैलिपर्स/बूट्स/बाहरी एडीआईपी कैंपों में माप और मोल्डों के लिए संस्थान में और वितरण कैंपों में फिटमेंट के कार्य इस एकक द्वारा किये जाते हैं । तैयार सहायक सामग्रियाँ और उपकरण जैसे- व्हील चेयर, तिपहिया साइकिल आदि भी वितरित किये जाते हैं । कार्नर चेयर्स, अनुकूली सीटिंग सहायक सामग्रियाँ, स्टैंडिंग फ्रेम्स आदि प्रमस्तिष्कीय पक्षाघातवाले बच्चों के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं ।

5.7 विशेष शिक्षा सेवा

विशेष शिक्षा सेवाओं में बहुविकलाँगताओं से ग्रस्त बच्चों की असाधारण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया पाठ्यक्रम शामिल है। बहुविकलाँगतावाले बच्चों की शैक्षणिक खूबी को बढ़ाने के लिए विशेष रूप से अभिकल्पित पढ़ाने-सिखाने-सीखने की सामग्री और पढ़ाने की पद्धतियाँ विकसित की गयी हैं।

बहु विकलाँगताओं से ग्रस्त बच्चों का मूल्य निर्धारणकृत क्रियात्मक अभिगम के उपयोग द्वारा किया जाता है । विशेष शिक्षा सेवाओं का लाभ उठानेवाले बच्चों के लिए आवधिक मूल्यांकन सहित व्यक्तिगत शिक्षण कार्यक्रम का अनुपालन किया जाता है । समस्त प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान पालकों की भूमिका पर जोर दिया जाता है । सिखाने और सीखने की प्रक्रिया की प्रभावितता बढाने के लिए बहुसंवेदी और हल्की लागत की सिखाने-सीखने की सामग्रियों को बनाया जाता है । उन्हें अधिक से अधिक स्वतंत्रत बनाने के लिए पाठ्यक्रम क्रियाकलापों पर विशेष बल दिया जाता है ।

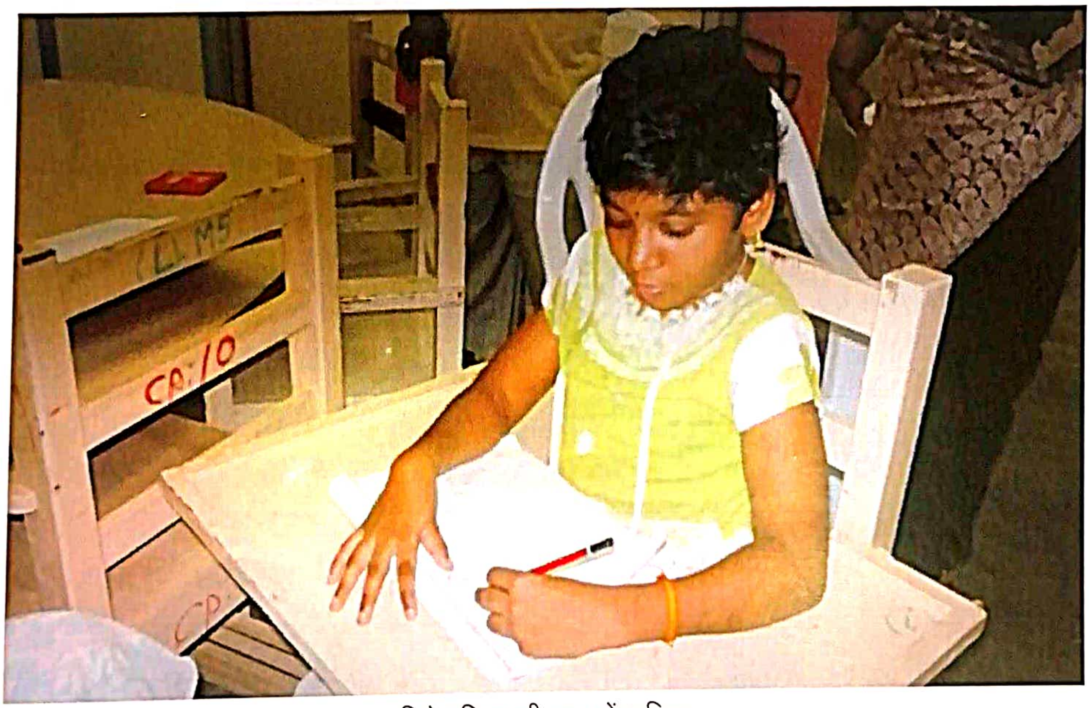

विशेष शिक्षा की कक्षा में बालिका

छोटे और बडे वर्गों में खेल-कूद के क्रियाकलाप आयोजित किये जाते हैं । कक्षाओं में ही संगीत, कला, हस्तकला, योग और नृत्य जैसे विभिन्न क्रियाकलाप आयोजित किये जाते हैं । विभिन्न त्यौहारों और समारोह के अवसरों पर बच्चे सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेते हैं । इसके अलावा सिंगल अक्षमतावाले व्यक्ति जो नियमित स्कूल में शामिल शिक्षा ग्रहण करते हैं उन्हें चिकित्सीय शिक्षा प्रदान की जाती है ।

5.8 मनोवैज्ञानिक सेवाएँ

मनोवैज्ञानिक सेवाओं के विस्तृत क्षेत्र में संज्ञानात्मक, व्यावहारिक और भावात्मक और सीखने की अक्षमताओं के लिए मूल्य निर्धारण शामिल हैं । विभिन्न अक्षमताओंवाले बच्चों की बुद्धिसंगत क्रियाओं का मूल्य निर्धारण करने उचित परीक्षणों का उपयोग किया जाता है । बच्चों में मौजूदा कौशल कमियों और अवाँछित बर्तावों के कारण जानकर उनका पर्याप्त इलाज करने की योजना बनाने व्यवहारीय मूल्य-निर्धारण किया जाता है। विस्तृत केस हिस्ट्री, मानसिक स्थिति परीक्षण और मनोवैज्ञानिक मूल्य-निर्धारण के लिए उचित निदान कर हर रोगी के लिए उचित इलाज की योजना बनायी जाती है । अधिकांश चिकित्सा पैकेज व्यवहारीय अभिगम पर आधारित थे ।

बहु-विकलाँगतावाले बच्चों के लिए मनोवैज्ञानिक मूल्य निर्धारण

बच्चे की अक्षमता की प्रकृति, मौलिक हैतुकीय पक्ष, पसंद का इलाज और पूर्वलक्षण पक्षों की प्रकृति को समझने हर सत्र में पालक परामर्शी सत्रों को चलाया गया । बच्चे को सम्हालने पालक प्रशिक्षित किये गये और विकलाँगों के कल्याण के लिए सरकारी नीतियों के बारे में विभिन्न सूचनाएँ प्रदान की गयीं । अपनी भावनात्मक परेशानियों को व्यक्त करने और अपने को बेहतर ढंग से समझने के लिए पालकों के भी समर्थक इलाज किये गये। अपने बच्चों के ऊपर मौलिक व्यवहार युक्तियों का उपयोग करने के लिए उन्हें भी प्रशिक्षित किया गया ।

5.9 श्रवण और वाणी चिकित्सा सेवाएँ

श्रवणता :

श्रवणता सुनने के विज्ञान और श्रवणयोग्यता प्रक्रिया के अध्ययन को दर्शाती हैं ।

वाणी चिकित्सा :

उसी वाणी को ठीक करने के बाद क्रियाशील और अवयवीय वाणी त्रुटियों और व्यक्तिक्रमों के सभी पक्षों का अध्ययन और इलाज किया जाता है ।

यह एकक बहुविकलॉग बच्चों की वाणी और श्रवण के क्षेत्र में होनेवाली समस्याओं के लिए सेवाएँ प्रदान करता है। विभिन्न औजारों जैसे प्यूर टोन, इंपीडेंस आडियोमीटर, आडियो स्क्रीनर-जीएसआई और अन्य औजारों की मदद से बहु विकलॉग रोगी की उच्चतम श्रवण शक्ति का पता लगाने के लिए विस्तृत मूल्य निर्धारण किया जाता है। ऐसे पालकों के समक्ष व्यापक वाणी और भाषा प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित और प्रदर्शित किया जाता है।

श्रवण मूल्यनिर्धारण के लिए इस एकक में आडियोलाजी प्रयोगशाला और कान की मोल्डिंग की प्रयोगशाला, प्रशिक्षण और कान के ढॉचे ढाले जाते हैं। बहु विकलॉगता से ग्रस्त बच्चों की वाणी, भाषा और संचार को विकसित करने वर्ग चिकित्सा की जाती है।

बहु विकलॉगतावाले रोगियों के लिए श्रवण मूल्यनिर्धारण

5.10 बधिर-अंधत्व के लिए सेवाएँ

उक्त एकक बधिर-अंधत्व से ग्रस्त बच्चों में मौजूद अवशिष्ट दृष्टि और श्रवण आयुवर्ग के आधार पर असाधारण मध्यस्थता सेवाएँ प्रदान करता है।

बच्चों में श्रवण ताकत प्रदान करने स्पर्श पद्धति उपयोग में लायी जाती है। फ्यूजर मशीन की सहायता से बधिर-अंध में संकल्पनाएँ विकसित की जाती हैं जो महसूस करने की भावनाओं को पैदा करती हैं।

सजीव जीवन के क्रियाकलापों का उपयोग करते हुए सभी स्पर्शी अवयवों को प्रेरणा प्रदान करने के लिए बहुसंवेदी अभिगम का उपयोग किया जाता है। कार्यकलाप का संकेत देने के लिए मंद क्रियात्मक बच्चों के लिए वास्तविक वस्तुओं का उपयोग करते हुए दैनिक चर्या की जाती है। बोर्डों, आकारों और रेत के खेल और पानी के खेलों को ब्रेल पूर्व कौशलों को महसूस करवाया जाता है। अवशिष्ट या बची हुई दृष्टि का उपयोग करने के लिए दृष्टि प्रशिक्षण दिया जाता है। छडी की तकनीक से पूर्व चलने-फिरने का प्रशिक्षण और छडी के उपयोग का प्रशिक्षण दिया जाता है। दूकान, तरकारी,भाजी खरीदने, तरकारियों को चुनने सीखने और खाना पकाने के आरंभिक कौशल जैसी बातें सिखाई जाती हैं।

ब्रेल अक्षर सिखाने के लिए ब्रेल टाइपराइटर का इस्तेमाल किया जाता है । कुछ बच्चों को तडोमा स्पर्श पद्धति से सिखाया जाता है । संचार चिह्न से प्रसिद्ध साफ़्टवेयर का उपयोग करते हुए संचार चिह्न कार्ड उत्पन्न किये गये थे । इसके अलावा बधिर अंध बच्चों में अपने शरीर की छवि की बनावट जानने और उसपर ध्यान देने में सुधार करने के लिए संगीत चिकित्सा और योग भी सिखाये जाते हैं ।

बधिर-अंधत्व वाले बच्चे के लिए शिक्षण सत्र चालू है ।

5.11 प्रौढ स्वतंत्र जीवन

इन सेवाओं का लक्ष्य बहु विकलॉंगतावाले प्रौढों को स्वतंत्र जीवन बिताने के लिए पर्याप्त सहारा प्रदान करता है । कौशल प्रशिक्षण में जातिगत कौशलों का मूल्य-निर्धारण और कार्य-विशिष्ट कौशल शामिल होते हैं । प्रशिक्षण की जरुरत को पहचानने और तदनुसार व्यावसायिक प्रशिक्षण की योजना तैयार करने विस्तृत व्यावसायिक पार्श्वचित्र तैयार किया गया है । इसमें सभी संभव कामों का सर्वेक्षण शामिल रहता है बहु विकलॉंग व्यक्ति को ऐसा प्रशिक्षण दिया जा सकता है जिससे कि वह अपना जीवन अधिकांशत: स्वतंत्र होकर गुजारे । प्रौढ स्वतंत्र कक्षा में नामांकित विद्यार्थियों की संख्या 8 (5 मान.मंदन+प्र.पक्षा, 3 मान.मंदन) है । पेशेवर ट्रेड्स फाइल बनाना, बागबानी और लिफाफा बनाना है ।

बहु विकलॉंगताओं से ग्रस्त प्रौढ बागबानी के कौशल में प्रशिक्षण प्राप्त करते हुए ।

अध्याय - 6

विशेष शिक्षा केन्द्र

6.1 तिरामई * विशेष स्कूल

वर्ष 2007-08 के शैक्षणिक वर्ष के दौरान, तिरामई विशेष स्कूल की स्थापना, बहु विकलॉंगताओं से ग्रस्त पीड़ितों की शैक्षणिक आवश्यकताओं के लिए, की गयी । चालू वर्ष में 64 विद्यार्थी नामांकित हुए । स्कूल को चार इकाइयों में बॉंटा गया :

- बधिर-अंध के लिए इकाई
- अतिरिक्त विकलॉंगताओं के साथ प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात
- अतिरिक्त विकलॉंगताओं के साथ आत्मविमोह के लिए इकाई
- अतिरिक्त विकलॉंगताओं के साथ मानसिक मंदन के लिए इकाई

6.1.1 प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात के लिए इकाई

इस इकाई को प्रारंभिक बाल्यकालीन विशेष शिक्षा कक्षा ईसीएसई, प्राइमरी कक्षा, सेकंडरी कक्षा और पेशेवर कक्षा नामक चार इकाइयों में बॉंटा गया था । ईसीएसई कक्षा में 6 वर्षों से कम आयु वाले विकासीय विलंब के बच्चे नामांकित किये जाते है । प्रशिक्षण के फोकस केंद्र हैं दैनिक जीवन-यापन, सामाजीकरण, भाषा प्रोन्नति, मोटर और संज्ञान कौशल । कमियों वाले क्षेत्रों को विकसित करने के लिए खेल पद्धति का उपयोग किया जाता है। प्रशिक्षण के लिए मुख्य फोकस सम्मिलित शिक्षा को प्रोन्नत करना है । विकासीय विलंब से ग्रस्त बच्चों को जहॉं तक संभव हो सम्मिलित प्री-स्कूल प्रशिक्षण को सुकर बनाना है ।

ईसीएसई कक्षा में बच्चे ।

* तमिल में तिरामई का अर्थ है - योग्यता ।

विकलाँगता के अनुसार बच्चों के ब्यौरे

क्रम सं.	विकलाँगता के संयोजन	पुरुष	महिला
1.	प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात+मानसिक मंदन	08	01
2.	प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात + लो विजन	01	00
3.	प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात + श्रवण विकलाँगता	01	00
4.	मानसिक मंदन + वाणी विकलाँगता	01	01
5.	आत्म विमोह + मानसिक मंदन	08	00
6.	आत्म विमोह + श्रवण विकलाँगता	01	00
	कुल	**20**	**02**

6.1.2 प्राथमिक कक्षा : 7 से 10 वर्षों के आयु वर्ग के बच्चों को व्यक्तिगत, सामाजिक, शैक्षणिक, व्यावसायिक और मनोरंजनात्मक क्रियाकलापों जैसे क्रियात्मक कौशलों का प्रशिक्षण दिया जाता है ।

6.1.3 सेकंडरी कक्षा : 11-14 वर्षों के आयु वर्ग के बीच के बच्चों को अकादमीय, गृह और व्यावसायिक कौशल विकास के क्षेत्रों पर फोकसिंग के कार्यात्मक क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जाता है ।

6.1.4 पेशा-पूर्व कक्षा : 14 वर्ष की ऊपर की आयु के बच्चों को स्कूल से पेशेवर प्रशिक्षण में बदलने तैयार किया जाता है । उन्हें कार्य से संबंधित बर्तावों में प्रशिक्षण दिया जाता है ।

प्राथमिक क्लास रुम के बच्चे ।

प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात कक्षा में बच्चों के ब्यौरे

क्रम सं.	विकलाँगताओं का सम्मिलन	पुरुष	महिला
1.	प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात	01	00
2.	प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात+मानसिक मंदन	06	04
3.	प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात + श्रवण विकलाँगता	01	00
4.	प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात +दृष्टि अक्षमता+मानसिक मंदन	01	01
5.	प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात+जब्त	01	01
6.	मानसिक मंदन+वाणी विकलाँगता	09	04
7.	प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात+जब्त+मानसिक मंदन	01	00
8.	मानसिक मंदन+मानसिक अक्षमता	01	00
	कुल	**21**	**10**

प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात की कक्षा में बच्चे ।

6.2 बधिर-अंध के लिए एकक

बधिर-अंधत्व/दोहरी संवेदी अक्षमतावाले बच्चों को संचार, अभिमुखीकरण और चालकता और मौलिक संकल्पनाओं जैसे तीन प्रमुख क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जाता है । अनुभव सहित सीखने का अभिगम के लिए मजबूत शैक्षणिक सहायक सामग्रियाँ का उपयोग किया जाता है ।

क्रम सं.	विकलाँगताओं का सम्मिलन	पुरुष	महिला
1.	दृष्टि अक्षमता+मानसिक मंदन	03	01
2.	दृष्टि अक्षमता+श्रवण विकलाँगता	04	01
3.	दृष्टि अक्षमता+आत्म विमोह	01	00
4.	दृष्टि अक्षमता+हड्डी के विकलाँग	00	01
	कुल	**08**	**03**

6.3 खेलकूद के क्रियाकलाप

बहु विकलॉंग बच्चों के लिए खेल-कूद, नृत्य, ड्रामा, फाइन आर्ट्स, योग, पिकनिक, आदि विभिन्न खेलकूद के क्रियाकलाप आयोजित किये जाते हैं । इन क्रियाकलापों का मुख्य फोकस मोटर, सामाजीकरण और संचारीय कौशलों को सुधारना है ।

खेल-कूद क्रियाकलापों में प्रशिक्षण प्राप्त करते अंधे बच्चे ।

मैदान में क्रिकेट का मजा लेते बच्चे ।

सफलता की कहानियाँ

6.4 सफलता की कहानियाँ

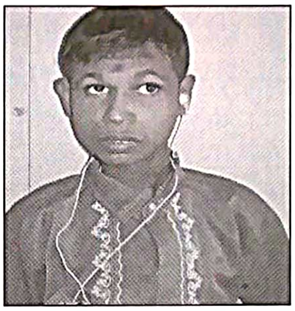

सरवनन: राष्ट्रीय बहु विकलॉंगता अधिकारिता संस्थान द्वारा एक नजदीकी गॉंव में आयोजित कैंप में दोहरी संवेदी अक्षमतावाले सर्वनन की पहचान की गयी। वह काफी शर्मीला था और अपनी मॉं और बहन के अलावा किसी से भी बात नहीं करता था। आरंभ में उसके घर के करीब की बालवाडी में विशेषज्ञों की एक टीम ने सेवाएँ दी थीं, वहॉं मॉं द्वारा सर्वनन को लाया गया। वह सीखते हुए हमेशा यह सुनिश्चित करता कि उसकी मॉं पास में हो। वह धीरे-धीरे प्रगति करने लगा, उसने अपने शिक्षकों और संदर्भ के लिए दी गयी वस्तुओं को पहचानने लगा। उसने अपने आसपास की चीजों में अंतर को पहचानना शुरु किया तो और अधिक क्रियाकलाप जोडे गये वह कम-अधिक की संकल्पना और बालवाडी में अपने स्थान को पहचानने लगा। उसे गाइडेड रोप रनिंग सिखाया गया।

अगला कदम था घर के वातावरण में विभिन्न नियत जगहों को पहचानने के अभिमुखीकरण द्वारा जागरूकता का सृजन करना था। उसे सडक के नल से पानी लाना और ऊपर टाइलेट तक लेजाना सिखाया गया। सर्वनन टाइलेट की प्राइवसी नहीं जानता था। उसे बताया गया कि टाइलेट का दरवाजा कैसे बंद किया जाए। उसे घर पर नहाने आदि की सभी आदतें घर पर ही सिखायी गयीं। अगला कौशल था रसोई में जाकर अपनी थाली पहचानना। उसे शॉपिंग, मंदिर जाना तथा घर से बाहर निकलने की सभी प्रेरणा देना। अपनी मॉं को छोडकर टीचर के साथ स्कूल आने लगा।

राष्ट्रीय बहु विकलॉंग अधिकारिता संस्थान के बधिर-अंध एकक में उसे कैलेंडर प्रणाली के द्वारा दैनिक रुटीन सिखाया गया। उसके एक ही साइज के तीन और चौथा कुछ बडे आकार के बक्से थे। सच्ची वस्तुएँ कैलेंडर बक्से में रखना और कडाई के साथ समय की पाबंदी सीख ली। उसे विशेष क्रम में ब्रेल की शेप बुक और उभरे शेप जैसे क्रियाकलापों को सिखाया गया ताकि वह 6 डॉट सीख ले। अपनी उँगलियों से उभरे आकारों को छूना उसका नया क्रियाकलाप था जो वह मुस्कुराते हुए करने लगा। कक्षा भर में ब्रेल डॉट्स को महसूस करवाया गया और धीरे-धीरे उसे ब्रेलर दिया गया। सर्वनन अब अकेले टायलेट जाना सीख गया। टाइलेट के लिए उसके लिए बनायी गयी तिपहिया बेंत की कुर्सी का उपयोग करने लगा। उसने बगीचे में पेडों को पानी देना, लंच के समय दोस्तों से बात करना शुरु किया। राष्ट्रीय बहु विकलॉंग अधिकारिता संस्थान में सर्वनन हर क्षण का आनंद उठाता है और उच्च शिक्षा प्राप्त करने तथा स्वतंत्र जीवन के रास्ते पर अग्रसर है।

सफलता की कहानियाँ

शिवसंध्या 12 वर्ष की आयु निदान में पाया गया कि वह प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात डिप्लीजिया सहित मानसिक मंदन और कमजोर दृष्टि से ग्रस्त लडकी है । उसे सेकंडरी स्तर के विशेष शिक्षा कक्षा में दाखिल करवाया गया । उसकी समस्याएँ थीं खडे रहने, चलने में समस्या, बात करने में लार टपकने की समस्या, कापी राइटिंग में दूर और नजदीक दोनों विंदुओं को न जोडने और शब्द न लिख पाने की समस्याओं से ग्रस्त थी । वह शब्द नहीं पढ सकती लेकिन अपना नाम और 100 तक गिनती लिख लेती है और चित्रों में वस्तुओं के नाम बोलती है कभी-कभार रुकते हुए । वह व्हील चेयर पर आती है, और खाना खाते हुए उसके हाथ से खाना विखर जाता है, उसे दृष्टि की समस्या भी है ।

योजनाबद्ध मध्यस्था कार्यक्रम और वहु-विषयक टीम के अभिगम के बाद वह वाकर्स की सहायता से चलने और स्कूल बस में हल्की सहायता से चढने लगी है । ठीक से बात करती है, थूक नहीं टपकती । वह नहाने, खाने-पीने में, टाइलेट जाने, कपडे पहनना स्वयं करती है । उसकी दृष्टि सुधर गयी है । विना सहायता के अपना नाम, पता लिख लेती है । वह श्रुतलेख शब्द लिखती है और गणित में जोड-वाकी गुणा करती है । दो-तीन आँकडों को आगे ले जाती है । उसने स्नैक्स, जूस, स्वयं बनाना सीख लिया । वह बोक्की, थ्रोबाल, बाल बकेटिंग जैसे खेल खेलती है । वह पैसों / रुपयों को पहचानती है, 50 रुपये का छुट्टा बदलती है । वह जगहों और मापों को पहचानती है । वह छुट्टी का पत्र और दोस्तों को ग्रीटिंग कार्ड भेजती है ।

मणिकंडन: प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात, बायाँ हेमिप्लीजिया, मानसिक मंदन से ग्रस्त 18 वर्ष का लडका है । जब उसे स्कूल में दाखिल कराया गया तो प्रेरगा स्तर और कैलकुलेटर का उपयोग अच्छा बर्ताव, त्यौहारों के बारे में, फंक्शनों और मौलिक संकल्पना जानता था । उसमें शैक्षणिक पिछडापन था । वह अपना नाम, पता नहीं लिख पाता और उसके बोल किसी की समझ में नहीं आते । रेत पर चल नहीं पाता, बार-बार गिर पडता है । बाएँ हाथ का उपयोग नहीं कर सकता। वह अपने प्रौढ दैनिक जीवन कौशलों के लिए आश्रित है ।

योजनाबद्ध अनुदेशीय कार्यक्रम के बाद उसने सभी क्षेत्रों में सुधार कर लिया । वह शब्द पढ-लिख सकता है, 3 अंकों की पहचान, जोड-बाकी, कैलकुलेटर का उपयोग कर सकता है । अडचनों पर थोडी सी मदद से चलता है । स्पष्ट बोलता है । नियमों के खेल खेलता है, अपना नाम-पता लिखता है । पैसों का हिसाब लगाता है माप-तौल जानता है और प्रथमोपचार करता है । चिकित्सा की तथा अन्य कार्यक्रमों का अनुपालन करता है ।

जयसीलन : यह लडका ट्रिनिटीज ब्रेन इंजुरी बी-1 से ग्रस्त 14 वर्ष का है। सेकंडरी लेवल में दाखिल करवाया गया। प्रवेश के समय वह जोड-बाकी-गुणा भाग कर सकता है, अपना, पिता का नाम लिख सकता है। दूसरों से ठीक से पेश नहीं आता। स्कूल बस से आते समय दूसरे बच्चों को पीटता, गाली देता, टीचर या अन्यों से लड पडता है। अनुदेशों का पालन नहीं करता गाली-गलौच करता है । कापी करके पढ-लिखता है। समय पालन करता है।

शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम के बाद उसमें बर्ताव और शिक्षण में परिवर्तन हुआ है । उसने सकारात्मक पुनर्बलन और युक्तियों द्वारा समस्याओं को घटा लिया है । परामर्शी सत्रों में जाता है । वह जोड-बाकी-गुणा-भाग- जबानी करता है । वह छुट्टी का आवेदन और पैराग्राफ लिखता है । वह सबके साथ सहकार करता है । स्कूल बस में दूसरों की मदद करता है । लेन-देन, शेष, वस्तुओं की दुकानों में खरीदारी करता है । मापों को जानता है । घडी से समय देख-बोल सकता है । 500/- रुपयों तक छुट्टा दे-ले सकता है । नाम,पता,ग्रीटिंग लिखता है । ट्रैफिक नियमों की जानकारी रखता है । बस में यात्रा का टिकट खरीदता है । एक दुर्घटना से पहले उसने 8वीं कक्षा तक पढाई की, वह उस समय सामान्य बालक था तो सिर को गंभीर दुर्घटना हुई थी उसकी वजह से वह याददाश्त खो बैठा ।

अध्याय - 7

विस्तारण और अभिगम कार्यक्रम

7.1 विकलॉगों को सहायक सामग्रियों / उपकरणों की खरीदी / फिटिंग / के लिए सहायता योजना

संस्थान को वित्त वर्ष 2007-08 के लिए एडीआईपी योजना के कार्यान्वयन का काम सौंपा गया था । अपनी जिम्मेदारियों की प्रतिक्रिया में रा.व.वि.अ.संस्थान ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और अंडमान निकोवार द्वीप समूह में कई स्थानों पर कैंपों का संचालन किया । जिसके ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

एडीआईपी योजना के अंतर्गत वर्ष 2007-08 के लिए संस्थान ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और अंडमान निकोवार द्वीप समूह में कई स्थानों पर कैंपों का संचालन किया । एडीआईपी योजना को प्रभावशाली और कुशलतापूर्वक चलाने के लिए संस्थान ने विकलॉगताओं के आयुक्त, डीडीआरसीयों और गैर सरकारी संगठनों के साथ गहरे सहकार के साथ अधिक से अधिक हिताधिकारियों तक पहुँचने के लिए कार्य योजना वनायी ।

समुदाय की जरूरतों और आवश्यकताओं के अनुसार मूल्य-निर्धारण और वितरण कैंपों का आयोजन किया । इस वर्ष 2007-08 के दौरान, 9174 हिताधिकारियों को विभिन्न प्रकार के सहायक उपकरण प्रदान किये गये थे । विभिन्न प्रकार की विकलॉगताओं के अंतर्गत आवरित हिताधिकारियों के ब्यौरे पेय 32-34 में दिये गये हैं:

अडिप योजना के लिए बजट आबंटन

वर्ष 2006-08 वर्षों के दौरान सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा योजना को कार्यान्वित करने के लिए सहायता अनुदान के रूप में राष्ट्रीय वहु विकलॉगता अधिकारिता संस्थान को 3.75 करोड रुपये प्राप्त हुए । अडिप योजना के अंतर्गत सहायक उपकरणों की फिटिंग / खरीदी के लिए 2.89 करोड रुपयों की राशि का उपयोग किया गया जिसमें राष्ट्रीय वहु विकलॉग अधिकारिता संस्थान को आबंटित जिलों में कैंपों के आयोजन, जिनके लिए राशि मंजूर की गयी थी इसमें शामिल है और 86.63 लाख रुपयों की उपयोग नहीं की गयी शेष राशि, वर्ष के अंत में शेष है ।

वर्ष 2007-08 के दौरान आयोजित किये गये कैंपों और वितरित उपकरणों के राज्यवार ब्यौरे

क्रम	राज्य का नाम	जिला	कार्यान्वित करनेवाली ऐजेंसी का नाम	कैंप का नाम और कैंप की तिथि	हिताधिकारियों की संख्या	वितरित किये गये सहायता उपस्कर और उपकरण									
						तिपहिया साईकिल	व्हील चेयर	सभी प्रकार के क्रचेस/ रोलेटर्स बेस/ वाकर्स/ फ्रेम्स/ सविकल कोलर्स	श्रवण सहायता उपकरण	कैलि पर्स	ब्रेल राइटिंग उपकरण और अन्य सहायक कम दृष्टि सहायता उपकरण और अंधों के लिए अन्य उपकरण	मा.मंदन संबंधी सहायक उपकरण	हाथ पैर आदि उपकरण कृत्रिम	की गयी शल्य चिकित्साएँ	अन्य
1	तमिलनाडु	तिरुवल्लूर	एनआईईपीएमडी	23/05/07	125	65	12	30	90	22	10	49	3	-	-
2	तमिलनाडु	तेनी	एनआईईपीएमडी	09/06/07	262	151	54	27	50	19	15	42	15	-	-
3	तमिलनाडु	करूर	एनआईईपीएमडी	18/08/07, 22/10/07, 26/12/07	367	25	15	19	159	10	132	54	-	-	-
4	तमिलनाडु	धर्मपुरी	एनआईईपीएमडी	01/09/07, 22/11/07 27/03/08	348	87	27	71	109	42	213	164	03	-	-
5	तमिलनाडु	कोयंबत्तूर	एनआईईपीएमडी	21/11/07	396	29	01	55	142	40	55	58	61	-	-
6	तमिलनाडु	तिरुच्चि सामर्थ्य	एनआईईपीएमडी	04/01/08	4022	569	603	417	718	27	2317	998	33	-	-
7	तमिलनाडु	नामक्कल	एनआईईपीएमडी	12/03/08	39	05	02	04	32	-	-	-	06	-	-
8	आं.प्रदेश	गुंटूर	एनआईईपीएमडी	27/03/08	894	196	40	42	102	-	211	428	-	-	-
9	तमिलनाडु	चेन्नै	एनआईईपीएमडी	28/03/08	205	51	82	16	19	-	37	-	-	-	-

वर्ष 2007-08 के दौरान आयोजित किये गये कैंपों और वितरित उपकरणों के राज्यवार ब्यौरे

क्रम स	मुख्यालय केंद्र/ उपकेंद्र का नाम	कार्यान्वित करनेवाली एजेंसी का नाम	हिताधिकारियों की संख्या	वितरित किये गये सहायता उपस्कर और उपकरण									
				तिपहिया साईकिल	व्हील चेयर	सभी प्रकार के क्रचेस/ रोलेटर्स बेस/ वाकर्स/ फ्रेम्स/ सविकल कोलर्स	श्रवण सहायता उपकरण	कैलि पर्स	ब्रेल राइटिंग उपकरण और अन्य सहायक कम दृष्टि सहायता उपकरण और अंधों के लिए अन्य उपकरण	मा.मंदन संबंधी सहायक उपकरण	हाथ पैर आदि उपकरण कृत्रिम	की गयी शल्य चिकित्साएँ	अन्य
1	एनआईईपीएमडी	एनआईईपीएमडी	636	24	14	16	72	-	702	-	15	-	-

एडीआईपी योजना के अंतर्गत हिताधिकारियों को प्रदान किये गये सहायक उपकरण

क्रम सं.	जिले का नाम	हड्डी के विकलांग	दृष्टि विकलांग	मानसिक विकलांग बहु अक्षमता	श्रवण विकलांग
		सामग्रियों के वितरण सहित हिताधिकारी			
		कुल	कुल	कुल	कुल
1.	तिरुच्चि	1086	596	759	433
2.	करूर	71	77	18	66
3.	मदुरै	20	312	0	01
4.	तंजावूर	82	48	41	33
5.	पुदुक्कोट्टै	84	24	37	27
6.	नामक्कल	12	0	10	06
7.	नागपट्टिनम	24	21	03	17
8.	ईरोड	19	12	02	04
9.	रामनाथपुरम	26	16	0	0
10.	तिरुनेलवेली		8	01	0
11.	सेलम	22	9	34	01
12.	चेन्नै		74	02	01
13.	विरुदनगर	14	13	01	0
14.	तूतुक्कुडी		34	01	12
15.	कोयंबत्तूर	14	22	28	02
16.	पांडिचेरी		21	0	0
17.	सिवगंगै	16	0	29	45
18.	तिरुवारूर	58	0	22	10
19.	विलुपुरम	27	0	0	01
20.	कडलूर	21	0	02	04
21.	दिंडुक्कल	28	0	03	06
22.	पेरंबलूर	53	0	15	55
	कुल	**1679**	**1287**	**1011**	**725**

7.2 विस्तार सेवाएँ

राष्ट्रीय बहु-विकलॉग अधिकारिता संस्थान ने स्टेट रिसोर्स सेंटर, चेन्नै के सहयोग से शहरी आबादी के लिए पुनर्वास सेवाएँ शुरु कीं । विशेष शिक्षकों, वाणी-भाषा और श्रवण चिकित्सकों बाल चिकित्सक तथा मनोवैज्ञानिकों से निहित व्यावसायिक टीम रोगियों की निरंतर देखरेख करती हैं और 112 रोगियों को संदर्भित किया गया है । इस सेवा के अंतर्गत 155 रोगियों को सहायक सामग्रियाँ प्रदान की गयी और 55 बच्चों को प्रारंभिक मध्यस्थता किट्स प्रदान किये गये ।

7.3 गैर सरकारी संगठनों के साथ नेट वर्किंग

राष्ट्रीय बहु-विकलॉग व्यक्ति अधिकारिता संस्थान ने राष्ट्रीय परमाणु अनुसंधान केन्द्र के प्रबंधन में चलाये जा रहे कलपाक्कम में स्थित मेहत्वा विशेष स्कूल मानसिक मंदन के बच्चों के लिए चलाये जा रहे स्कूल के साथ नेटवर्किंग आरंभ कर दिया है । नियमित अंतरालों पर वाणी-भाषा-श्रवण चिकित्सकों विशेष शिक्षक, पेशेवर चिकित्सक, भौतिक चिकित्सक और मनोवैज्ञानिक से निहित व्यावसायिक टीम द्वारा शैक्षणिक व तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है । 35 बहु विकलॉग लोगों के लिए वैयक्तिक शैक्षणिक कार्यक्रम खास तौर से बनाया गया और विशेष शिक्षकों द्वारा अनुवर्ती की गयी । बहु विकलॉगता वाले बच्चों के पालकों के लिए भी इसी प्रकार के कार्यक्रम चलाये गये । ऐसे रोगी जिन्हें विशेष सेवा की जरूरत थी एनआईईपीएमडी को संदर्भित किये गये । 7 बच्चे हृदय रोग से पीडित पाये गये उन्हें अगली सेवाओं के लिए अपोलो अस्पताल, चेन्नै भेजा गया ।

अध्याय - 8

राष्ट्रीय बहु-विकलाँग अधिकारिता संस्थान की उपलब्धियाँ

8.1 बहु-विकलाँगताओं पर परिदृश्य पर राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला

राष्ट्रीय बहु-विकलाँग अधिकारिता संस्थान ने बहु विकलाँगता पर परिदृश्य विषय पर दिनांक: 15-16 नवंबर, 2007 को चेन्नै में सेवा माड्यूलों, मानव संसाधन विकास अनुसंधान और विकास और बहु-विकलाँगों के लिए विशेष रुप से प्रावधान का प्रमाणीकरण के थीम को दिशा में राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला का आयोजन किया। दो दिनों के दौरान निम्नलिखित प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के बारे में चर्चा की गयी ।

- बहु विकलाँगता के बारे में कार्यात्मक व्याख्या तैयार करना ।
- बहु-विकलाँगताओं (व्यापकता और घटन) के विभिन्न संयोजन ।
- सेवा माड्यूल
- विकलाँगता प्रमाणीकरण में स्पष्टता
- मानव संसाधन विकास और अनुसंधान एवं विकास

देशभर के विकलाँगता पुनर्वास के क्षेत्र में कार्य करनेवाले 100 प्रतिभागियों ने सक्रिय रुप से कार्यशाला में भाग लिया । कार्यशाला के अंत में बहु-विकलाँगों को अधिकारिता प्रदान करने के लिए परिणामवादी सिफारिशों और सुझावों को तैयार और स्वीकार किया गया ।

कार्यशाला में विचारों का आदान प्रदान

8.2 सामर्थ्य - 2008 (राष्ट्रीय प्रदर्शनी)

रा.ब.वि.अ.संस्थान ने सहायक सामग्रियों, पढ़ाने-सीखने की सामग्रियों और विकलॉगों के लिए अवरोध मुक्त लक्षणों पर एक राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी का सेंट जोसेफ्स कॉलेज हायर सेकंडरी स्कूल के मैदान, तिरुच्चि, तमिलनाडु में दिनांक: 4 से 7 जनवरी, 2008 तक आयोजन किया जिसे विभिन्न कार्यक्षेत्रों के 30000 से 35000 लोगों ने प्रदर्शनी देखी ।

प्रदर्शनी के सुचारु रुप से चलाने के लिए निम्नलिखित व्यवस्थाएँ की गयी थीं :

8.2.1 संरचना

प्रदर्शनी में 10x10 वर्ग फीट के 120 स्टाल बनाये गये थे । प्रदर्शनी का क्षेत्र कारपेट से ढँका था और शामियाने लगाये गये थे जिनका उपयोग मूल्य निर्धारण और सहायक उपकरणों और सामग्रियों के वितरण हेतु किया गया । पीडब्ल्युडी यों और सामान्य जनता की सुविधा के लिए अवरोध मुक्त और चल प्रसाधनों की व्यवस्था की गयी थी । लोगों के मनोरंजन हेतु अम्यूजमेंट पार्क लगाये गये थे प्रिंट मीडिया के द्वारा राष्ट्रीय प्रदर्शनी का विस्तृत प्रचार किया गया ।

बहु विकलॉग लोगों के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले 100 संगठनों ने प्रदर्शनी में भाग लिया । विकलॉग मित्र मोटर गाडियॉ, व्हील चेयर्स, कृत्रिम अवयव, श्रवण सहायता यंत्र, सिखाने-सीखने की सामग्रियॉ, व्यावसायिक उत्पाद, जागरुकता सामग्रियॉ स्वास्थ्य संगठनों शैक्षणिक संस्थानों और विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों ने प्रदर्शनी में अपना प्रतिनिधित्व दर्ज किया । देश के विभिन्न स्थानों जैसे हरियाणा, असम, नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, गुजरात, उत्तरांचल, उडीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुदुच्चेरी आदि के प्रदर्शकों ने प्रदर्शनी में भाग लिया ।

प्रदर्शकों को ठहरने और भोजन की नि शुल्क व्यवस्था की गयी । प्रदर्शनी के चार दिन पीडब्ल्यूडी को प्रतिदिन भोजन के पैकेट बॉटे गये ।

8.2.2 चलित अदालत (मोबाइल कोर्ट)

प्रदर्शनी हाल के भीतर एक चलित अदालत (मोबाइल कोर्ट) का आयोजन किया गया । मुख्य आयुक्त विकलॉगता, तमिलनाडु सरकार के संयुक्त चलित अदालत में 4 व 5 जनवरी के दौरान 450 से अधिक आवेदनों पर सुनवाई की गयी। इस घटना के दौरान मेडिकल बोर्ड, तमिलनाडु सरकार के सहयोग से जिला पुनर्वास केंद्र, तिरुच्चि में चिकित्सा प्रमाण पत्र जारी किये गये ।

8.2.3 सहायक उपकरणों का वितरण

4800 विकलॉगों को विभिन्न प्रकार की सहायक सामग्रियॉ जैसे : तिपहिया साइकिलें, व्हील चेयर्स, क्रचेस, ब्रेल घडियॉ, टेप रिकार्डर्स, वाकिंग स्टिक्स तथा सीखने-सिखाने की सामग्रियॉ वितरित की गयीं ।

सामर्थ्य प्रदर्शनी का एक दृश्य

माननीय राज्य मंत्री श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीसन, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, माननीय मंत्री श्री के.एन.नेहुरु, परिवहन मंत्री, तमिलनाडु सरकार, माननीय मंत्री श्रीमती पून्कोडि, सामाजिकल्याण, तमिलनाडु सरकार, सामर्थ्य प्रदर्शनी के उद्‌घाटन के दौरान, तिरुच्चि में, 4 जनवरी, 2008 को तिपहिया साइकिलों का वितरण करते हुए ।

अध्याय - 9

प्रशासन

9.1 स्टाफिंग

संस्वीकृत नियमित पद और रिपोर्ट की अवधि अर्थात् वर्ष 2007-08 में भरती किये गये पदों के ब्यौरे :

9.1.1 रा.ब.वि.व्यक्तियों के लिए अधिकारिता संस्वीकृत पदों के विवरण

कुल पदों की संख्या (भारत सरकार / ईएफसी द्वारा मंजूर)	:	71 पद
चरण-I में सृजित पदों की सं.	:	32
चरण-II में पदों की सं.	:	39 पद (मंजूर पद सृजन के लिए कार्रवाई)
वर्ग - क		
निदेशक	:	1 पद
उप पंजीयक (प्रशासन)	:	1 पद
सह प्रोफेसर	:	6 पद
लेखा अधिकारी	:	1 पद
प्राध्यापक	:	6 पद
सूचना एवं मीडिया अधिकारी	:	1 पद
		16
वर्ग - ख		
पुनर्वास अधिकारी	:	6 पद
प्रोग्राम सहायक	:	6 पद
विशेष शिक्षक	:	4 पद
		16
कुल	:	32 पद

9.1.2 चरण - I (31 मार्च, 2008 तक की स्थिति) में धारित और खाली पदों की स्थिति के ब्यौरे

क्रम सं.	पद नाम नाम	संस्वीकृत	धारित	रिक्त	अभ्युक्तियाँ
1.	निदेशक	01	1	0	
2.	उप-पंजीयक (प्रशा.)	01	1	0	
3.	सह-आचार्य	06	4	2	
4.	लेखा अधिकारी	01	1	0	
5.	प्राध्यापक	06	6	0	
6.	सूचना व मीडिया अधिकारी	01	1	0	
7.	पुनर्वास अधिकारी	06	6	0	
8.	प्रोग्राम सहायक	06	6	0	
9.	विशेष शिक्षा शिक्षक	04	4	0	
	कुल	**32**	**30**	**2**	

एनआईएचएच, मुंबई से वर्ग-घ (चपरासी) का पद सहित कर्मचारी का स्थानांतरण

9.1.3. 2007-08 (31 मार्च, 2008 तक) की अवधि के दौरान भरे गये पदों के ब्यौरे

क्रम सं.	नाम (श्रीमती /श्री)	किस मद पर नियुक्त	एनआईईपीएमडी में पदासीन होने की
1.	बी.एस.संतोष कन्ना	प्राध्यापक स्वतंत्र जीवन	09-04-2007
2.	जे.वी.सुब्बरामन	पुनर्वास अधिकारी (प्रौढ स्वतंत्र जीवन)	20-04-2007
3.	एस.के.सामी	प्रोग्राम सहायक (संपदा व अनुरक्षण)	23-04-2007
4.	के.बाल भास्कर	प्राध्यापक (स्वतंत्र जीवन)	01-05-2007
5.	एस.वेंकटेश्वरन	प्रोग्राम सहायक (स्थापना)	07-05-2007
6.	के. धनवेंदन	विशेष शिक्षक (सी.पी.)	23-05-2007
7.	यू. सुनिल कुमार	प्रोग्राम सहा. (भंडार व क्रय)	23-05-2007
8.	एस. गुरुमूर्ति	पुनर्वास अधि. (तेरा)	10-12-2007
9.	एम. कतिरवन	विशेष शिक्षक (आत्मविमोह)	11-12-2007
10.	डी. स्टालिन अरुल रीगन	विशेष शिक्षक (डीबी)	11-12-2007
11.	जे. मोहम्द इब्राहीम	प्रो.सहा (लेखे)	07-01-2008
12.	पी. एंजीलीन गोल्डा	प्रो.सहा.(प्रशि.प्रोग्राम व अकादमीय)	24-01-2008
13.	एस. कार्तिकेयन	प्राध्यापक पुनर्वास मनोविज्ञान	06-02-2008
14.	आर. शांति	लेखा अधिकारी (*प्रति नियुक्ति पर)	08-02-2008
15.	एस. सोभिया वाणी	विशेष शिक्षक	27-03-2008

*एस.कृष्णमूर्ति, चपरासी, 01-05-2007

9.1.4 भारत सरकार की नीतियों के अनुपालन में राष्ट्रीय बहु विकलॉंग अधिकारिता संस्थान में नियुक्तियों/ भरती में आरक्षण और रियायतों का कार्यान्वयन

संविधान के निदेशक सिद्धांतों और भारत सरकार, सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी किये गये आदेशों / अनुदेशों के अनुपालन में अनुसूचित जाति, अनु.जन जाति, अन्य पिछडी जातियों, विकलॉंग व्यक्तियों, भूतपूर्व सैनिकों आदि वर्गों को आरक्षण और रियायतें प्रदान करने के संबंध में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से मंजूरी प्राप्त करने के बाद राष्ट्रीय बहु विकलॉंग अधिकारिता संस्थान के संस्वीकृत पदों पर भरती करते समय नियमों का कडाई के साथ कार्यान्वयन निम्नानुसार किया है:

वर्गीकरण	31-03-2008 को संस्वीकृत पदों की संख्या	31-03-2008 तक भरी गयी रिक्तियों की संख्या	समुदाय के लिए किया गया आरक्षण/ समुदाय के व्यक्ति की नियुक्ति					अभ्युक्तियॉं
			अ.जा.	अ.ज.जा	अ.पि.व	विक व्यक्ति	अन्य	
वर्ग-क	16	13	1	-	3	1	-	
वर्ग-ख	16	15	4	-	4	1	-	
कुल	32	28	5	-	7	2	-	

9.2 भवनों का निर्माण

के.लो.नि.विभाग, चेन्नै द्वारा राष्ट्रीय बहु विकलॉंग अधिकारिता संस्थान के लिए निम्नलिखित नये भवनों का निर्माण किया जा रहा है, जिनका कुल क्षेत्रफल कुल 12331 वर्ग मीटर है :

- सेवा, संकाय और प्रशासनिक खंड (ग्रा+3) - 6868 वर्ग मी.
- विशेष शिक्षा केन्द्र - 1080 वर्ग मी.
- पुरुष छात्रावास (ग्रा+2) - 933 वर्ग मी.
- महिला छात्रावास (ग्रा+3) - 1309 वर्ग मी.
- अतिथि गृह (ग्रा+3) - 640 वर्ग मी.
- रसोई और भोजनालय - 360 वर्ग मी.
- 12 स्टाफ क्वार्टर और निदेशक का बंगला - 1140 वर्ग मी.

9.2.1 प्रस्ताव (मार्च 2008 रिपोर्ट की अवधि की स्थिति)

क्रम सं.	भवन का वर्णन	मूल निर्मित क्षेत्र (वर्ग.मी.)	राशि रु.	अतिरिक्त प्रावधान				
				अतिरिक्त मजबूत बुनियाद भावी 2 और मंजिल बनाने वाले	सिविल- रैंप		विद्युत प्रावधान	
					अतिरिक्त निर्मित क्षेत्र (वर्ग.मी.)	राशि (रु.)	ब्यौरे	राशि (रु.)
1.	सेवा, प्रोग्रामिंग और प्रशासन खंड	7187	100720717	7258624	280	2485655	*****	*****
2.	विशेष शिक्षा केंद्र और संकाय स्कंध	3888	53986356	3661330	280	2485655	*****	*****
3.	पुरुष छात्रावास	1153	18546308	1086722	230	1885529	*****	*****
4.	महिला छात्रावास	1336	20444087	1258111	230	1885529	*****	*****
5.	कैंटीन, अतिथि गृह और सूट्स	847	15833639	*****	*****	*****	*****	*****
6.	आंतरिक क्षेत्र में रैंप प्रदान करने अतिरिक्त क्षेत्र	*****	10476555	*****	*****	*****	*****	*****
7.	सिविल कार्य का विकास	*****	28306840	*****	*****	*****	*****	*****
8.	विद्युत कार्य का विकास	*****	23431032	*****	*****	*****	*****	*****
9.	जोडें 3 फुटकर	*****	8152366	*****	*****	*****	*****	*****
10.	बैक-अप जनरेटर	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
	कुल	14411	279897900	13264787	1020	8742368	*****	5500000
	लगभग	*****	279898000	13300000	*****	8700000	*****	5500000

कुल योग : रु. 30,73,98,000/-

9.2.3. 2007-08 की रिपोर्ट की अवधि के दौरान राष्ट्रीय बहु विकलॉग अधिकारिता संस्थान के लिए नये भवनों के निर्माण की पृष्ठभूमि (31-03-2008) की स्थिति :

तमिलनाडु सरकार ने ईस्टकोस्ट रोड, मुत्तुकाडु में 15.22 एकड प्रदान की । राष्ट्रीय बहु विकलॉग अधिकारिता संस्थान के लिए भवन निर्माण के लिए भूमि का सर्वेक्षण करने केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, चेन्नै को आदेश दिये गये। चूँकि भूमि समुद्रतट पर स्थित है, के.लो.नि.विभाग, ने संरचनात्मक आधार की मजबूति के लिए अतिरिक्त नींव के साथ भवन निर्माण के प्रस्ताव प्रस्तुत किया । इसके अलावा पहले ईएफसी में प्रस्तावित 14.2 करोड रुपयों की लागत से निर्माण करने का आधार मार्च,2002 वर्ष की कीमत था । और इसके अतिरिक्त पहलेवाले ईएफसी में बनाये गये लक्षणों में भवन की योजना में निम्नलिखित अतिरिक्त प्रावधान बनाये गयें ।

1. समुद्रतटीय अंचल विनियमावली के अनुसार भवन का निर्माण 500 मीटर्स के उच्च लहर लाइन को रिमोट सेंसिंग संस्थान, अन्ना यूनिवर्सिटी द्वारा मार्किंग की गयी थी । जमीन की कमी के मद्देनजर, अतिरिक्त नींव प्रदान करके संरचना को मजबूती प्रदान करना ।

2. इसके अलावा हर खंड में सभी मंजिलों तक लिफ्ट प्रदान करना और सभी मंजिलों और कमरों तक रैंप का निर्माण करना जिसका ढलान 12 में से 1 अधिकन हो ।

3. स्टैंड बाई इलेक्ट्रिकल जनरेटर प्रदान करना ताकि सडक पर पूरी रोशनी हो तथा लिफ्ट, सिवरेज, ट्रीटमेंट संयंत्र और स्ट्रीट लाइटिंग आदि के लिए बैकअप जनरेटर हो ।

मार्च, 2005 में 16.85 करोड रुपयों की राशि 13455 वर्ग मीटर भवन क्षेत्र के लिए 2002 वर्ष के मूल्य सूचकांक पर @192% पर 1992 के के.लो.नि.वि. चेन्नै के दर, से मंजूर किये गये । अब के.लो.नि.विभाग वर्ष 2006 के लागत सूचकांक के अनुसार कुल निर्माण 15441 वर्ग मीटर होगा जिसमें ऊँचाई में और दो मंजिलों और रैंप के सभी मंजिलों तक निर्माण और स्टैंड बाई जनरेटर और लिफ्ट प्रदान करने होंगे । मूल ब्लॉक में इन अतिरिक्तयों पर विचार नहीं किया गया था । इसके अलावा, नींव के बढा देने के कारण लागत पर भी वृद्धि का प्रभाव पडा और सक्षम प्राधिकारी (टाउन प्लानिंग निदेशालय, मामल्लपुरम, चेन्नै) ने अनुमोदित ड्राइंग में, अनुमोदन के नियमितीकरण के लिए उपयुक्त परिवर्तन के निदेश दिये हैं ।

जून, 2006 के मूल्य सूचकांक के आधार पर 258% वृद्धि के साथ लागत रु.30.74 करोड (यानी 31 करोड रुपये) होती है और मौजूदा मूल्य सूचकांक, जून, 2007 में 305% है ।

9.3 पुस्तकालय

बहु विकलॉगता के क्षेत्र से संबंधित बडी मात्रा में संस्थान में पुस्तकें व पत्र पत्रिकाएँ हैं । रा.ब.वि.अ.सं. के पुस्तकालय की स्थापना उपयोगकर्ताओं को अद्यतन स्रोतों द्वारा ज्ञान प्रदान करने और उपयोगकर्ता संतुष्टि, उच्च गुणवाली सेवाओं द्वारा प्राप्त होती है । पुस्तकालय में 3 राष्ट्रीय पत्रिकाएँ 172 नयी पुस्तकें 2007-08 में जोडी गयी । कुल पुस्तकें 454 हैं । दो राष्ट्रीय और अंतर-राष्ट्रीय पत्रिकाएँ और विकलॉगता से संबंधित 358 समाचार कटिंग पुस्तकालय को प्रदान किये गये । संस्थान का पुस्तकालय डॉ.एमजीआर मेडिकल यूनिवर्सिटी और रीजनल मेडिकल लाइब्रेरी चेन्नै का सदस्य बन चुका है । वर्ष के दौरान संस्थान ने गोल्डन डॉन नामक डाक्यूमेंटरी बनायी जिसमें बहु विकलॉगता से संबंधित क्रियाकलापों को चित्रित किया गया है ।

9.4 सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन

सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 (अधिनियम सं. 22/2005 (1)) भारत के संसद द्वारा भारत के नागरिकों (जम्मू-कश्मीर के लोगों को छोडकर जिनका अपना विशेष कानून है) को सरकारी अभिलेखों तक पहुँचने का अभिगम/रास्ता प्रदान करता हैं। अधिनियम की शर्तों के अंतर्गत, कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक प्राधिकारी (सरकार का एक निकाय) जिससे सूचना प्रदान करने का अनुरोध करने पर जल्दी से जल्दी या तीस दिन के भीतर उत्तर देना होता हैं। अधिनियम की आवश्यकताओं के अनुसार प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकारी को चाहिए कि वह अपने अभिलेखों को कम्प्यूटरीकृत करके इसका विस्तृत रूप से प्रचार करे और कुछ सूचनाओं को विशेष प्रकार के क्रियात्मक रूप से प्रकाशित करे ताकि जनता के लिए सूचना को न्यूनतम और औपचारिक रूप से प्रदान करने का अनुरोध किये जाने पर, दे सके । इस विधि को दिनांक 15 जून, 2005 को संसद द्वारा पारित किया गया और 13 अक्तूबर, 2005 से अमल में लाया गया है। इससे पूर्व भारत में सरकारी रहस्य अधिनियम, 1923 और विभिन्न अन्य विशेष कानूनों द्वारा सूचना का प्रकटन करने पर प्रतिबंध था, जिस पर अब नया सूचना अधिकार अधिनियम लागू किया गया है। भारतीय न्यायपालिका में अब सूचना अधिकार अधिनियम कों बडे पैमाने पर बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के आधार पर तैयार किया गया है। सूचना अधिकार अधिनियम का आरंभ ऐसे वर्गों और समुदायों की सरकार और उसके अभिकरणों, विभागों से मॉगों की शुरुआत से हुआ जिसमें उनके क्रियाकलापों के प्रकटन द्वारा और विशेषकर उनके द्वारा किये गये आबंटनों और सार्वजनिक निधियों, सार्वजनिक मालों की उपयोगिता से संबंधित सूचना प्राप्त करना था। वर्ष 2007-08 के दौरान सूचना अधिकार अधिनियम के आवेदनों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

क्र.स	सूचना अधिकार अधिनियम के आवेदन	आवेदनों की संख्या
1.	सू.अ.अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त आवेदन पत्र	03
2.	आवेदकों के निष्पादित मामले	03

9.5 राजभाषा का कार्यान्वयन :

संस्थान, भारत सरकार, गृह मंत्रालय द्वारा अपने वार्षिक कार्यक्रम 2007-08 द्वारा संघ का सरकारी काम हिन्दी में करने के जो लक्ष्य निर्धारित किये हैं, उनका अनुपालन कर लक्ष्य प्राप्त करने के प्रयास करता आ रहा हैं। संस्थान में, सूचना अधिकार अधिनियम से संबंधित हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिन्दी में दिये जाते हैं। संस्थान का वर्ष 2006-07 का वार्षिक प्रतिवेदन हिन्दी और अंग्रेजी में भी प्रकाशित किया गया हैं। संस्थान की मासिक रिपोर्ट भी हिन्दी में भेजी गयी हैं। विभिन्न परीक्षाओं से संबंधित प्रश्न पत्र भी द्विभाषा में तैयार करवाये गये और विद्यार्थियों के समक्ष हिन्दी में उत्तर देने का विकल्प भी रखा गया। हिन्दी में पत्राचार के ब्यौरे निम्न हैं :

1. हिन्दी में प्राप्त पत्रों की सं. : 01
2. हिन्दी में उत्तर दिये गये पत्रों की सं. : 10

अध्याय - 10

लेखे

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (सिविल लेखा परीक्षा)
तमिलनाडु एवं पुतुचेरी
लेखा परीक्षा भवन ,
361, अण्णा सालै तेनामपेट, चेन्नै - 600 018

सीएबी/आई/28-685/2008-2009/153 दिनांक : 16-12-2008

सेवा में,
सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
कमरा नं.613ए-विंग शास्त्री भवन
नई दिल्ली-116001

महोदय,

विषय : राष्ट्रीय बहु विकलॉग अधिकारिता संस्थान, मुत्तुकाडु, चेन्नै के वर्ष 2007-08 के लेखों पर लेखा परीक्षा ।

मैं, राष्ट्रीय बहु विकलॉग अधिकारिता संस्थान, मुत्तुकाडु, चेन्नै के वर्ष 2007-08 के वार्षिक लेखों पर लेखा परीक्षा की रिपोर्ट सहित वर्ष 2007-08 के लेखों की विवरणी अग्रेषित करता हूँ।

कृपया इस कार्यालय को वर्ष 2006-07 और 2007-08 के लेखों की संसद में प्रस्तुती की तिथियों को सूचित करें । वर्ष 2006-07 और 2007-08 के लिए रिपोर्ट की पॉच प्रतियॉ संसद को प्रस्तुत किये गये अनुसार इस कार्यालय को भी भेजें ।

कृपया इस पत्र की प्राप्ति सूचना दें ।

भवदीय,
हस्ताक्षर
उप महा लेखाकार / आईएससी-2

दूरभाष : 2431 6400, 2431 6401, 2431 6402
2431 6403, 2431 6404, 2431 6405
तार : ऑडिटवन , चेन्नै
फैक्स : 044-2433 0012
ई-मेल : auditone@eth.net

दिनांक: 31 मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय बहु विकलॉंग अधिकारिता संस्थान, मुत्तुकाडु, चेन्नै के लेखों पर भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की लेखा परीक्षा रिपोर्ट:

हमने, राष्ट्रीय बहु विकलॉंग अधिकारिता संस्थान, मुत्तुकाडु, चेन्नै के 31 मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष के लेखों के तुलन पत्र और उसी तिथि को समाप्त वर्ष के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के (ड्यूटियॉं, शक्तियॉं और सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971 की धारा 20 (1) के अंतर्गत आय तथा व्यय लेखे/प्राप्तियॉं और भुगतान लेखों की लेखा परीक्षा की है । हमें वर्ष 2010-11 तक की लेखा परीक्षा का कार्य सौंपा गया है । इन वित्तीय विवरणियों का उत्तरदायित्व प्रबंधन का है । हमारी जिम्मेदारी अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणियों पर अपनी राय प्रकट करना है ।

2. इस अलग लेखा-परीक्षा रिपोर्ट में भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की, लेखा व्यवहारों तक वर्गीकरण, अनुरुपण और उत्तम लेखा नीतियों, लेखा मानकों और प्रकटन नियमों आदि पर टिप्पणियॉं करने तक है । विधि, नियमावली और विनिमयन (स्वामित्व और नियमितीकरण) और कुशलता सहित निष्पादन पक्षों आदि के वित्तीय लेनेदेनों के संबंध में लेखा परीक्षा अवलोकन आदि की भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की निरीक्षण रिपोर्ट आदि के द्वारा अलग से यदि कोई हो तो रिपोर्ट की गयी ।

3. हमने सामान्यत: भारत में स्वीकृत लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार अपनी लेखा-परीक्षा की है । इन मानकों की आवश्यकता है कि हमें लेखा परीक्षा के प्रति योजना बनाना और निष्पादन करना है ताकि हमें यह समुचित आश्वासन पाना है कि क्या वित्तीय विवरणियॉं दोषपूर्ण विवरणियों से मुक्त हैं । लेखा परीक्षा में लेखा मूल्यांकन के लिए उपयोग किये गये लेखा सिद्धांत और उल्लेखनीय अनुमान जो प्रबंधन द्वारा तैयार किये गये हैं, और साथ ही साथ वित्तीय विवरणियों का समग्र मूल्यांकन में राशियों का समर्थन करते साक्ष्य मौजूद हैं । हमें विश्वास है कि हमारी लेखा परीक्षा हमारी राय के लिए समुचित आधार प्रस्तुत करती है :

4. अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि :

i) हमने अपनी लेखा परीक्षा के लिए और हमारी जानकारी तथा विश्वास के लिए आवश्यक सूचना और स्पष्टीकरण हमने प्राप्त कर लिए हैं ।

ii) तुलन पत्र और आय तथा व्यय लेखा / प्राप्तियॉं और भुगतान लेखा वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किये गये प्रारुप में तैयार किये गये हैं:

iii) हमारी राय में, राष्ट्रीय बहु विकलॉंग अधिकारिता संस्थान, मुत्तुकाडु, चेन्नै ने संस्थान की नियमावली और विनियमों द्वारा जैसे कि लेखा बहियों के हमारे परीक्षण से पता चलता कि लेखों की उचित बहियों और संबंधित अभिलेखों का अनुरक्षण समुचित रुप से किया गया ।

iv) आगे हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि

क. सामान्य

राष्ट्रीय बहु विकलॉंग अधिकारिता संस्थान, मुत्तुकाडु, चेन्नै के लेखे ड्राफ्ट लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुच्छेद के आधार पर संशोधित किये गये और लेखों में संशोधन का परिणाम निम्न प्रकार है:

	रु..........
पूँजीगत व्यय के राजस्व के रूप में व्यय दुर्वर्गीकरण को सही किये जाने और भवनों को पूँजीगत किया गया	65.66 लाख
मशीनरी का मूल्य कम बताया गया इसलिए सही करने के कारण	0.08 लाख
निवेशों और देयता को कम दर्शाया गया, सही करने पर	5.71 लाख
के.लो.नि.विभाग को दिये गये अग्रिमों में से पूँजी और राजस्व व्ययों को प्राप्ति और भुगतान लेखों में शामिल किये गये । सुधार करने पर	1.40 करोड
आस्तियों के निवल अवरुद्ध आदि मूल्य के समायोजन गत वर्षों के अति मूल्यह्रास-सुधार किये जाने पर	2.14 लाख

ख सहायता अनुदान

वर्ष 2007-08 के दौरान संस्थान ने योजना के अंतर्गत 2.50 करोड रुपये और विकलॉंगों के लिए सहायता योजना में तिरुच्चि में आयोजित प्रदर्शनी में सहायक उपकरणों के वितरण योजना के अंतर्गत 38.70 लाख रुपये प्राप्त किये ।

वर्ष के दौरान प्राप्त 2.50 करोड रुपयों के सहायता अनुदान में से और गत वर्ष के खर्च में से बचे शेष 5.76 करोड रुपये, योजना के अंतर्गत संस्थान 1.78 करोड रुपये खर्च नहीं कर पाया, जिससे 31 मार्च, 2008 तक उपयोग में नहीं लायी गयी राशि 6.51 करोड रुपये शेष हैं ।

v. पिछले अनुच्छेदों में हमारे अवलोकन पर हम रिपोर्ट करते हैं कि इस रिपोर्ट द्वारा देखे गये तुलन-पत्र और आय तथा व्यय लेखे/प्राप्ति और भुगतान लेखे लेखा बहियों से मेल खाते हैं ।

vi. हमारी राय में और हमें दी गयी सूचना और हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार उक्त वित्तीय विवरणियों के साथ पढी जानेवाली लेखा नीतियॉं और लेखों पर टिप्पणियॉं और उल्लेखनीय मामलों की शर्त पर ऊपर बताये गये और अन्य मामले जिन्हें इस लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुबंधों के रूप में प्रस्तुत किया गया है सच्चा और निष्कलंक दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं जो सामान्यत: भारत में स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप हैं:

क दिनांक : 31 मार्च, 2008 को राष्ट्रीय बहु विकलॉंग अधिकारिता संस्थान, मुत्तुकाडु, चेन्नै के व्यवहारों का तुलन पत्र के साथ जहॉं तक संबंध है : और

ख उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए आय तथा व्यय लेखे के अधिशेष का जहॉं तक संबंध है सच्चा और स्पष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं ।

कृते और भारत के महालेखा परीक्षक की ओर से

प्रधान महालेखाकार (सिविल लेखा परीक्षा)
तमिलनाडु और पांडिचेरी

स्थान : चेन्नै
दिनांक : 16-12-2008

लेखा परीक्षा रिपोर्ट का अनुबंध

1. **आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता**
   संस्थान में आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली नहीं है

2. **आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता**
   लेखा मैन्युअल नहीं है और लेखों का कोडीकरण नहीं किया जाता ।

3. **नियत आस्तियों की भौतिक जाँच**
   नियत आस्तियों की उचित समयों पर प्रबंधन द्वारा जाँच की गयी ।

4. **सांविधिक बकायों के भुगतान में नियमितता**
   संस्थान, समुचित प्राधिकारियों के पास आयकर और सेवाकर जमा कराने में नियमित रहा है ।

वित्तीय विवरणी गैर-लाभ संगठन का फार्म
संस्थान का नाम : राष्ट्रीय बहु विकलाँग अधिकारिता संस्थान, मुत्तुकाडू
31 मार्च, 2008 को स्थित तुलन पत्र

(राशि रु......में)

समग्र / पूँजी निधि और देयताएँ	अनुसूची	चालू वर्ष	गत वर्ष
समग्र / पूँजी निधि	1	150,768,696	133,092,555
आरक्षित और अधिशेष राशियाँ	2	0	0
निर्दिष्ट / धर्मादाय निधियाँ	3	0	0
प्रतिभूति सहित ऋण व उधार	4	0	0
अप्रतिभूति ऋण व उधार	5	0	0
आस्थगित जमा देनदारियाँ	6	0	0
चालू देनदारियाँ और प्रावधान	7	646,043	8,000
कुल		**151,414,739**	**133,100,555**
आस्तियाँ			
नियत आस्तियाँ	8	17,084,345	75,407,835
जोडें: पूर्वावधि समायोजन			
निवेश-निर्दिष्ट धर्मादायी निधियाँ	9	0	0
निवेश - अन्य	10	0	0
चालू आस्तियाँ ऋण, अग्रिम आदि	11	134,330,394	57,692,720
विविध व्यय (बट्टे खाते या समायोजित न किये जाने की सीमा तक)			
कुल		**151,414,739**	**133,100,555**
उल्लेखनीय लेखा नीतियाँ	24		
फुटकर देनदारियाँ और लेखों पर टिप्पणियाँ	25		

प्रो.स.(लेखे) **लेखा अधिकारी** **उप पंजीयक (प्रशा.)** **निदेशक**

वित्तीय विवरणियों का फार्म (निरपेक्ष संगठन)

संस्थान का नाम : राष्ट्रीय बहु विकलाँग अधिकारिता संस्थान, मुत्तुकाडु

31 मार्च, 2008 को समाप्त अवधि के लिए आय तथा व्यय का लेखा

(राशि रु......में)

आय	अनुसूची	चालू वर्ष	गत वर्ष
विक्रय/सेवाओं से प्राप्त आय	12	0	0
अनुदान/आर्थिक सहायता	13	47,273,684	114,787,507
शुल्क/चंदे	14	183,365	97,000
निवेशों से आय (उद्दिष्ट/धर्मदाय निधियों के निवेश से प्राप्त आय निधियों का अंतरण)	15	0	0
रायल्टी, प्रकाशनों आदि से आय	16	0	0
अर्जित आय	17	0	0
अन्य आय	18	62,950	1,320
तैयार मालों और चालू कार्यों के स्टॉक में वृद्धि/(कमी)	19	0	0
योग (क)		**47,519,999**	**114,885,827**
व्यय			
कार्यक्रमों और सेवाओं पर व्यय	20	2,351,866	10,410,667
स्थापना व्यय	20ए	6,629,628	2,258,216
अन्य कार्यक्रम व्यय	20बी	28,909,372	0
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	21	6,129,502	1,412,524
अनुदानों, आर्थिक सहायता आदि पर व्यय	22	0	0
ब्याज	23	0	0
मूल्यह्रास (अनुसूची-8 के अनुरूप वर्षान्त में निवल योग)		1,121,806	847,821
योग (ख)		**45,142,174**	**14,929,228**
आय के ऊपर व्यय के आधिक्य का शेष (क-ख)			
विशेष प्रारक्षित निधि (हरेक को) स्पष्ट रूप से बताएँ			
सामान्य प्रारक्षित निधि को/से अंतरण			
शेष राशि अधिशेष / (कम)		**2,377,825**	**99,956,599**
समूह/पूँजी निधि को ले जाया गया			
विशिष्ट लेखा नीतियाँ	24		
लेखों पर फुटकर देयताएँ और लेखों पर फुटकर देनदारियाँ	25		

प्रो.स.(लेखे) **लेखा अधिकारी** ***उप पंजीयक (प्रशा.)*** ***निदेशक***

राष्ट्रीय बहु विकलाँग व्यक्ति अधिकारिता संस्थान, मुत्तुकाडु, चेन्नै

वर्ष 2007-08 के लिए प्राप्ति और भुगतान लेखा

क्रम सं.	प्राप्त राशियाँ	2006-07	2007-08	क्रम सं.	भुगतान	2006-07	2007-08
1	आदि शेष	4355516	57636620	1	वेतन व मजदूरियाँ	2126082	6629628
2	सहायता अनुदान एनआईईपीएमडी खाता	113999992	25000000	2	प्रशासनिक व्यय	1544658	3526241
3	सहायता अनुदान एडीआईपी खाता	0	37572000	3	प्रोग्राम और सेवाओं पर व्यय	10410667	2351866
4	ट्यूशन शुल्क	90,900	104000	4	एडीआईपी योजना पर व्यय	0	28909372
5	परीक्षा शुल्क	4,000	0	5	**स्टाफ को अदा किये गये ऋण व अग्रिम**		
6	दान	1,000	0		मोटर साईकिल अग्रिम	0	261000
7	समाचार पत्र विक्रय	320	555		कंप्यूटर अग्रिम	0	60000
8	**ऋण व अग्रिम वसूलियाँ**				त्यौहार अग्रिम	0	7500
	यात्रा भत्ता अग्रिम	15,000	16,000		एलटीसी अग्रिम	0	10000
	डॉ.विजयलक्ष्मी तात्कालिक अग्रिम		28,500		फुटकर लेखा	10000	10000
	मोटर साइकिल अग्रिम		25,800		जमानती रुपया	0	8000
	कंप्यूटर अग्रिम		6,000	6	तात्कालिक अग्रिम व यात्रा भत्ता अग्रिम	44500	0
	त्यौहार अग्रिम		3,600	7	के.लो.नि.वि. के पास अग्रिम	45000000	1299400
	एनआईएमएच से कोर्स फीस और त्यौहार अग्रिम		11,600	8	पूँजी खंड (नियत आस्तियाँ)	2491716	3832437
9	एनआईएमएच द्वारा खर्च	787,515	0				
10	रद्दी का विक्रय	0	54200	9	**बैंक में नकदी**		3
11	पंजीकरण व आवेदन शुल्क	0	79365		इंडियन बैंक में मीयादी जमा	0	60000000
12	अध्ययन सामग्री का विक्रय	0	2370		इंडियन बैंक में बचत खाता	57626620	5053186
13	अतिथि गृह प्राप्तियाँ	0	5825		एडीआईपी योजना बचत बैंक-खाता	0	8662628
14	आरआरसी भोपाल से प्राप्तियाँ	0	74823		नया पेंशन आर.डी.खाता		571220
15	एनपीएस में योगदान की प्राप्त राशियाँ		571,220				
	कुल	**119254243**	**121192478**		**कुल**	**119254243**	**121192478**

प्रो.स.(लेखे) **लेखा अधिकारी** **उप पंजीयक (प्रशा.)** **निदेशक**

वित्तीय विवरणी (गैर-लाभ संगठन) का फार्म
संस्था का नाम : राष्ट्रीय बहु विकलाँग अधिकारिता संस्थान, मुत्तुकाडु
31 मार्च, 2008 को स्थित तुलन पत्र के अंगरूप अनुसूचियाँ

(राशि रु......में)

	चालू वर्ष		गत वर्ष	
अनुसूची-1 समूह / पूँजी निधि:				
वर्ष के आरंभ में शेष राशि		133,092,555		33,135,956
जोडें: समूह/पूँजी निधि में योगदान				0
		133,092,555		33,135,956
घटाएँ: गत वर्ष के अनुदानों का समायोजन क्योंकि		0		0
अनुसूची-8 से नियत आस्तियाँ हटा दी गयीं (अन्य संगठनों को अंतरण)		133,092,555		33,135,956
जोडें : पूँजीगत व्यय, आस्तियों की खरीद के लिए		15,298,316		
जोडें/(घटाएँ) : आय तथा व्यय लेखे (जोडें) से अंतरित		2,377,825		99,956,599
निवल आय / (व्यय) की शेष राशि				
वर्ष के अंत में शेष राशि की स्थिति		**150,768,696**		**133,092,555**

	चालू वर्ष		गत वर्ष	
अनुसूची-2 प्रारक्षित और अधिशेष राशियाँ				
1. प्रारक्षित पूँजी राशि				
वर्ष के दौरान जोडी गयी अतिरिक्त				
घटाएँ: वर्ष के दौरान कटौतियाँ		0		0
2. पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षित राशि:				
गत वर्ष के लेखे के अनुसार				
वर्ष के दौरान जोडे गये				
घटाएँ: वर्ष के दौरान कटौतियाँ		0		0
3. विशेष प्रारक्षित राशि:				
गत वर्ष के लेखे के अनुसार				
वर्ष के दौरान जोडे गये				
घटाएँ: वर्ष के दौरान कटौतियाँ		0		0
4. सामान्य प्रारक्षित राशि:				
गत वर्ष के लेखे के अनुसार				
वर्ष के दौरान जोडे गये				
घटाएँ: वर्ष के दौरान कटौतियाँ		0		0
कुल	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

वित्तीय विवरणी (गैर-लाभ संगठन) का फार्म

संस्था का नाम : राष्ट्रीय बहु विकलाँग अधिकारिता संस्थान, मुत्तुकाडु

31 मार्च, 2008 को स्थित तुलन पत्र के अंगरूप अनुसूचियाँ

(राशि रु......में)

	निधिवार विघटन				कुल	
	निधि WW	निधि XX	निधि YY	निधि ZZ	चालू वर्ष	गत वर्ष
अनुसूची-3 उद्दिष्ट/धर्मदाय निधियाँ						
क. निधियों का आदिशेष					0	0
ख. निधियों में अतिरिक्त राशियाँ					0	0
i. सहायता अनुदान					0	0
ii. निधियों के खाते में से किये गये निवेशों पर आय					0	0
iii. अन्य अतिरिक्तियाँ (प्रकृति स्पष्ट करें) (ट्यूशन फीस, अतिथिगृह प्राप्तियाँ, अग्रिमों की वसूलियाँ)					0	0
कुल (क+ख)	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**
ग. निधियों के उद्देश्यों पर निधियों की उपयोगिता/व्यय						
i. पूँजी व्यय						
- नियत आस्तियाँ					0	0
- अन्य					0	0
कुल					0	0
ii. राजस्व व्यय						
- वेतन, मजदूरियाँ और भत्ते आदि					0	0
- भाडा					0	0
- अन्य प्रशासनिक व्यय					0	0
कुल					0	0
कुल (ग)	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**
वर्ष के अंत में निवल शेष राशि (क+ख-ग) शून्य	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**

टिप्पणियाँ
1) अनुदानों से संबद्ध शर्तों के आधार पर संबंधित लेखा शीर्षों के अंतर्गत प्रकटन किये जाने चाहिए ।
2) केन्द्र/राज्य सरकारों से प्राप्त आयोजना निधियों को अलग निधियों के रूप में बताया जाए और किन्हीं अन्य निधियों के साथ मिलाया न जाए ।

वित्तीय विवरणी (गैर-लाभ संगठन) का फार्म

संस्था का नाम : राष्ट्रीय बहु विकलॉंग अधिकारिता संस्थान, मुत्तुकाडु

31 मार्च, 2008 को स्थित तुलन पत्र के अंगरूप अनुसूचियॉं

(राशि रु......में)

	चालू वर्ष		गत वर्ष	
अनुसूची-4 प्रतिभूति सहित ऋण और उधार राशियॉं:				
1. केन्द्र सरकार			0	0
2. राज्य सरकार (विशिष्टतया बताएँ)			0	0
3. वित्तीय संस्थान				
क) मीयादी ऋण			0	0
ख) उपचित ब्याज और देय राशियॉं			0	0
4. बैंक:				
क) मीयादी ऋण			0	0
- उपचित ब्याज और देय राशियॉं			0	0
ख) अन्य ऋण (विशिष्टतया बताएँ)			0	0
- उपचित ब्याज और देय राशियॉं			0	0
5. अन्य संस्थान और एजेंसियॉं			0	0
6. डिबेंचर और बॅंधपत्र			0	0
7. अन्य (विशिष्टतया बताएँ)			0	0
योग	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**

टिप्पणी : एक वर्ष के भीतर देय राशियॉं

वित्तीय विवरणी (गैर-लाभ संगठन) का फार्म

संस्था का नाम : राष्ट्रीय बहु विकलाँग अधिकारिता संस्थान, मुत्तुकाडु

31 मार्च, 2008 को स्थित तुलन पत्र के अंगरूप अनुसूचियाँ

(राशि रु......में)

	चालू वर्ष	गत वर्ष
अनुसूची-5 प्रतिभूति रहित ऋण और उधार राशियाँ		
1. केन्द्र सरकार	0	0
2. राज्य सरकार (विशिष्टतया बताएँ)	0	0
3. वित्तीय संस्थान	0	0
4. बैंक:		
क) मीयादी ऋण	0	0
ख) अन्य ऋण (विशिष्टतया बताएँ)	0	0
5. अन्य संस्थान और अभिकरण एजेंसियाँ	0	0
6. डिबेंचर और बंध पत्र	0	0
7. नियत आस्तियाँ	0	0
8. अन्य (विशिष्टतया बताएँ)	0	0
कुल	**शून्य**	**शून्य**

टिप्पणी : एक वर्ष के भीतर देय राशियाँ

	चालू वर्ष	गत वर्ष
अनुसूची : 6 - आस्थगित ऋण देयताएँ		
क) पूँजीगत उपकरण और अन्य आस्तियों के हाइपोथिकेशन द्वारा प्राप्त स्वीकृतियाँ	0	0
ख) अन्य	0	0
कुल	शून्य	शून्य

टिप्पणी : एक वर्ष के भीतर देय राशियाँ

वित्तीय विवरणी (गैर-लाभ संगठन) का फार्म
संस्था का नाम : राष्ट्रीय बहु विकलाँग अधिकारिता संस्थान, मुत्तुकाडु
31 मार्च, 2008 को स्थित तुलन पत्र के अंगरूप अनुसूचियाँ

(राशि रु......में)

	चालू वर्ष		गत वर्ष	
अनुसूची-7 चालू देयताएँ और प्रावधान				
क. चालू देयताएँ				
1. स्वीकार्यताएँ				
2. फुटकर लेनदार				
क) मालों के लिए				
ख) अन्य (जमानती धन जमा है)	0	0	8,000	8,000
3. प्राप्त अग्रिम राशियाँ				
4. उपचित ब्याज पर देय नहीं				
क) प्रतिभूत ऋण / उधार				
ख) अप्रतिभूत ऋण / उधार				
5. सांविधिक देयताएँ:				
क) अतिदेय				
ख) अन्य: नयी पेंशन योगदान	571,220	571,220		
6. अन्य चालू देयताएँ (डॉ.नीरदा चंद्र मोहन,निदेशक, आरआरसी, भोपाल से भविष्य निधि वसूलियाँ)	74,823	74,823	0	0
कुल (क)	646,043	646,043	8,000	8,000
ख. प्रावधान				
1. कराधान के लिए	0	0	0	0
2. उपदान	0	0	0	0
3. अधिवर्षिता / पेंशन	0	0	0	0
4. संचित छुट्टी नकदीकरण	0	0	0	0
5. व्यापार वारंटियाँ / दावे	0	0	0	0
6. अन्य स्पष्ट करें	0	0	0	0
कुल (ख)	*0*	*0*	*0*	*0*
कुल (क+ख)	*646,043*	*646,043*	*8,000*	*8,000*

वित्तीय विवरणी (गैर-लाभ संगठन) का फार्म
संस्था का नाम : राष्ट्रीय बहु विकलाँग अधिकारिता संस्थान, मुत्तुकाडु, चेन्नै
31 मार्च, 2008 को स्थित तुलन पत्र के अंगरूप अनुसूचियाँ

(राशि रु......में)

वर्णन	सकल अवरुद्ध राशि				मूल्यह्रास				निवल ब्लाक	
	वर्ष के प्रारंभ की लागत/ मूल्यांकन	वर्ष के लिए जोडी गयी राशियाँ	वर्ष के लिए कटौतियाँ	वर्ष के अंत तक की लागत/ मूल्यांकन	वर्ष के प्रारंभ की स्थिति	2007-08 के लिए जोडी गयी राशियाँ	वर्ष के लिए कटौतियाँ	वर्ष के अंत तक का कुल	चालू वर्ष के अंत पर स्थित	गत वर्ष के अंत पर स्थित
1	**2**	**3**	**4**	**5 (2+3-4)**	**6**	**7**	**8**	**9 (6+7-8)**	**10 (5-9)**	**11**
अनुसूची-8 नियत आस्तियाँ										
क. नियत आस्तियाँ										
1) भूमि										
ख. पट्टे पर ली गयी	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
2) भवन	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
क) मुफ्त में मिली भूमि	0	11465879	0	11465879	0	229318	0	229318	11236561	0
ख) पट्टे पर ली गयी भूमि	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
ग) स्वामित्व वाले फ्लैट्स/	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
हस्ती की मिल्कियत के भवन	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
3) संयंत्र व मशीनरी और उपकरण	900260	1506835	0	2407095	90026	151112	0	241138	2165957	810234
4) वाहन	0	1180263	0	1180263	0	55433	0	55433	1124830	0
5) फर्नीचर / जुडनार	1446464	330400	- -	1776864	144646	123653	0	268299	1508565	1301818
6) कार्यालय उपकरण	561391	50341	- -	611732	56139	13888	0	70027	541705	505252
7) कंप्यूटर / सामग्रियाँ	363164	283925	- -	647089	72633	67729	0	140362	506727	290531
8) विद्युत संस्थापनाएँ		- -	- -	- -	- -	0	- -	- -		
9) पुस्तकालय की पुस्तकें	484377	480673	0	965050	484377	480673	0	965050	0	0
10) ट्यूबवेल्स और जल आपूर्ति		- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
11) अन्य नियत आस्तियाँ		- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	0	0
चालू वर्ष का कुल	**3755656**	**15298316**	**0**	**19053972**	**847821**	**1121806**	**0**	**1969627**	**17084345**	**2907835**
गत वर्ष	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
ख. पूँजीगत चालू कार्य									- -	- -
टिप्पणी : वर्ष 2004-05 के दौरान कोई भी आस्तियाँ अंतरित या प्राप्त नही की गयी ।										
कुल								- -	- -	
(टिप्पणी दी जाए कि आस्तियों की लागत भाडे पर खरीदे गये आधार पर ऊपर में सम्मिलित)।										

वित्तीय विवरणी (गैर-लाभ संगठन) का फार्म
संस्था का नाम : राष्ट्रीय बहु विकलाँग अधिकारिता संस्थान, मुत्तुकाडु,
31 मार्च, 2008 को स्थित तुलन पत्र के अंगरूप अनुसूचियाँ

(राशि रु......में)

	चालू वर्ष	गत वर्ष
अनुसूची-9 **उद्दिष्ट / धर्मदाय निधियों से निवेश** 1. सरकारी प्रतिभूतियों में 2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में 3. शेयरों में 4. डिबेंचर और बँध पत्र 5. नियंत्रित व्यवसाय और संयुक्त कार्य 6. अन्य (विशिष्टतया बताएँ)		
कुल	**शून्य**	**शून्य**

	चालू वर्ष	गत वर्ष
अनुसूची-10 निवेश - अन्य 1. सरकारी प्रतिभूतियों मे 2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में 3. शेयरों में 4. डिबेंचर और बँध पत्र 5. नियंत्रित व्यवसाय और संयुक्त कार्य 6. अन्य (विशिष्टतया बताएँ)		
कुल	**शून्य**	**शून्य**

वित्तीय विवरणी (गैर-लाभ संगठन) का फार्म
संस्था का नाम : राष्ट्रीय बहु विकलॉंग अधिकारिता संस्थान, मुत्तुकाडु,
31 मार्च, 2008 को स्थित तुलन पत्र के अंगरूप अनुसूचियॉं

(राशि रु......में)

	चालू वर्ष		गत वर्ष	
अनुसूची-11 चालू आस्तियॉं, ऋण व अग्रिम राशियॉं आदि				
क. चालू आस्तियॉं				
1. माल सूचियॉं				
क) भंडार व अतिरिक्त पुर्जे				
ख) खुले औजार				
ग) व्यापार में लगा स्टाक				
तैयार माल				
चालू कार्य				
कच्ची सामग्रियॉं				
2. फुटकर देनदार				
क) छह महीनों से अधिक अवधि से रुकी पडी बकाये	0	0	10100	10100
ख) अन्य	0	0	0	0
3. नकदी शेष (चेकों/ड्राफ्टों और फुटकर धन)	10,000	10,000	10,000	10,000
4. बैंक में शेष राशियॉं (अनुबंध-2)	0	0		
क) अनुसूचित बैंक				
- चालू खातों में	0		57,626,620	57,626,620
- जमा खातों में (इसमें मार्जिन मनी शामिल है)	60,000,000		0	0
इंडियन बैंक में मीयदी जमा राशी				
- इंडियन बैंक के बचत खाते में (रा.ब.वि.व्य.अ. संस्थान के मुख्य खाते में)	5,053,186		0	0
- इंडियन बैंक के बचत खाते में (रा.ब.वि.व्य.अ. संस्थान ए डी आई पी खात)	8,662,628			
- आावर्ती जमा खाता - नया पेंशन योजना खाता	571220	74,287,034		
b) ख) गैर अनुसूचित बैंकों में				
- चालू खातों में		0	0	0
- जमा खातों में (इसमें मार्जिन मनी शामिल है)	0			
- बचत खातों में		0	0	0
5. डाकघर - बचत खातों में	0			
कुल (क)		**74,297,034**	**57,646,720**	**57,646,720**

वित्तीय विवरणी (गैर-लाभ संगठन) का फार्म
संस्था का नाम : राष्ट्रीय बहु विकलाँग अधिकारिता संस्थान, मुत्तुकाडु,
31 मार्च, 2008 को स्थित तुलन पत्र के अंगरूप अनुसूचियाँ

(राशि रु......में)

	चालू वर्ष		गत वर्ष	
अनुसूची-11 चालू आस्तियाँ, ऋण व अग्रिम राशियाँ आदि (जारी...)				
ख. ऋण, अग्रिम राशियाँ और अन्य आस्तियाँ				
1. ऋण				
क) स्टाफ (मोटर साईकिल,कंप्यूटर,एलटीसी व त्यौहार अग्रिम)	303,100	303,100	1,500	1,500
ख) हस्ती करने जैसे कार्यों के समान कार्यों को करने वाली अन्य हस्तियाँ				
ग) अन्य (विशिष्टतया बताएँ)				
2. नकद, वस्तु रुप में प्राप्त होने वाले मूल्य की वसूली योग्य अग्रिम और अन्य राशियाँ:				
क) पूँजी खाते में (सीपीडब्ल्यूडी के साथ अग्रिम)	59,730,260	59,730,260	0	0
ख) पूर्व भुगतानें				
ग) अन्य (कार्यक्रमों के लिए अग्रिम राशियाँ)	0	0	44,500	44,500
3. उपचित आय				
क) उद्दिष्ट / धर्मदाय निधियों से निवेश पर				
ख) निवेशों पर - अन्य				
ग) ऋणों और अग्रिम राशियों पर				
घ) अन्य (वसूल नही की जा सकी रु....की राशि)	0	0		
4. वसूली योग्य दावे				
कुल (ख)		60,033,360	46,000	46,000
कुल (क+ख)		134,330,394	57,692,720	57,692,720

वित्तीय विवरणी (गैर-लाभ संगठन) का फार्म
संस्था का नाम : राष्ट्रीय बहु विकलाँग अधिकारिता संस्थान, मुत्तुकाडु,
31 मार्च, 2008 को स्थित तुलन पत्र के अंगरूप अनुसूचियाँ

(राशि रु......में)

	चालू वर्ष	गत वर्ष
अनुसूची-12 विक्रयों / सेवाओं से आय 1) विक्रयों से आय क) तैयार मालों का विक्रय ख) कच्ची सामग्री का विक्रय ग) रद्दी मालों का विक्रय 2) सेवाओं से आय क) श्रमिक और संसाधन प्रभार ख) व्यावसायिक / परामर्शदात्री सेवाएँ ग) एजेंसी कमीशन और बट्टा घ) रखरखाव सेवाएँ (उपकरण / संपत्ति) ङ) अन्य (विशिष्टतया बताएँ)	0	0
कुल	**0**	**शून्य**

	चालू वर्ष	गत वर्ष
अनुसूची-13 अनुदान/आर्थिक सहायताएँ		
(प्राप्त अनुदान / परिदान राशियाँ)		
1) (क) केन्द्र सरकार - एनआईईपीएमडी - मुख्य खाता	25000000	114,787,507
(ख) केन्द्र सरकार - एनआईईपीएमडी - एडीआईपी खाता	37572000	0
2) राज्य सरकार (ें)		
3) सरकारी एजेंसियाँ		
4) संस्थान / कल्याण निकायों		
5) अंतर-राष्ट्रीय संगठनो		
6) अन्य (विशिष्टतया वताएँ) घटाएँ: वर्ष 2007-08 के लिए पूँजी व्यय	-15,298,316	0
कुल	47,273,684	114,787,507

वित्तीय विवरणी (गैर-लाभ संगठन) का फार्म

संस्था का नाम : राष्ट्रीय बहु विकलाँग अधिकारिता संस्थान, मुत्तुकाडु,

31 मार्च, 2008 को समाप्त अवधि के लिए आय तथा व्यय की अंगस्वरूप अनुसूचियाँ

(राशि रु......में)

	चालू वर्ष	गत वर्ष
अनुसूची-14 - शुल्क / चन्दे		
1) संबंधन शुल्क (फीस)	0	0
2) पाठ्यक्रम फीस (डिप्लोमा, डिग्री, स्नातकोत्तर (पी.जी.) और प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम)	104,000	97,000
3) प्रवेश फीस		
4) वार्षिक फीस / चन्दे		
5) संगोष्ठी / कार्यक्रम फीस (आवेदन एवं पंजीकरण शुल्क)	79,365	0
6) परामर्शदात्री फीस		
7) अन्य (विशिष्टतया बताएँ)		
कुल	183,365	97,000
टिप्पणी : प्रत्येक मद के संबंध में लेखानीतियाँ प्रकट की जानी हैं ।		

	उद्दिष्ट निधि से निवेश		अन्य निवेश	
	प्रायोजित निधि			
	चालू वर्ष	गत वर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष
अनुसूची 15 - निवेशों से आय				
उद्दिष्ट/धर्मदाय निधियों से निधियों को अंतरित किये गये निवेशों पर आय				
1) ब्याज				
क) सरकारी प्रतिभूतियों पर				
ख) अन्य बँध पत्रों/डिबेंचरों पर लाभाँश				
2) लाभाँश				
क) शेयरों पर				
ख) म्यूच्वल निधि प्रतिभूतियों पर				
3) भाडे				
4) अन्य (विशिष्टतया बताएँ)				
कुल	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
उद्दिष्ट/धर्मदाय निधियों को अंतरित				

वित्तीय विवरणी (गैर-लाभ संगठन) का फार्म

संस्था का नाम : राष्ट्रीय बहु विकलाँग अधिकारिता संस्थान, मुत्तुकाडु,

31 मार्च, 2008 को समाप्त अवधि के लिए आय तथा व्यय की अंगस्वरूप अनुसूचियाँ

(राशि रु......में)

	चालू वर्ष	गत वर्ष
अनुसूची 16 - प्रकाशनों, रायल्टी आदि से आय		
1) रायल्टी से आय	0	0
2) प्रकाशनों से आय	0	0
3) अन्य (विशिष्टतया बताएँ)		
कुल	0	0

	चालू वर्ष	गत वर्ष
अनुसूची 17 - अर्जित ब्याज		
1) मीयादी जमा राशियों पर		
क) अनुसूचित बैंकों में		
ख) गैर अनुसूचित बैंकों में		
ग) संस्थाओं में		
घ) अन्यों में		
2) बचत खातों पर		
क) अनुसूचित बैंकों में	0	0
ख) गैर अनुसूचित बैंकों में		
ग) संस्थाओं में		
घ) अन्यों में		
3) ऋणों पर:		
क) कर्मचारीगण / स्टाफ		
ख) अन्य	0	0
4) कर्जदारों और अन्य प्राप्य राशियों पर ब्याज	0	0
कुल	0	0

टिप्पणी : स्रोत से की गयी कर की कटौती सूचित की जानी चाहिए ।

वित्तीय विवरणी (गैर-लाभ संगठन) का फार्म
संस्था का नाम : राष्ट्रीय बहु विकलाँग अधिकारिता संस्थान, मुत्तुकाडु,
31 मार्च, 2008 को समाप्त अवधि के लिए आय तथा व्यय की अंगस्वरूप अनुसूचियाँ

(राशि रु......में)

	चालू वर्ष	गत वर्ष
अनुसूची 18 - अन्य आय		
1) आस्तियों के विक्रय / निपटान से आय		
क) स्वामित्व वाली आस्तियाँ		
ख) अनुदानों या बिना लागत प्राप्त आस्तियों से		
2) उगाहे गये प्रतिवाद प्रोत्साहन		
3) विविध सेवाओं के लिए फीस	0	0
4) धन - वापसियाँ	0	0
5) विविध आय	62,950	1,320
कुल	62,950	1,320

	चालू वर्ष	गत वर्ष
अनुसूची 19 - तैयार मालों और चालू कार्य के स्टाकों में वृद्धि / (कमी)		
क) अंतिम स्टाक		
- तैयार माल		
- चालू कार्य		
ख) घटाएँ: आदि स्टाक		
- तैयार माल		
- चालू कार्य		
निवल वृद्धि / (कमी) (क-ख)	शून्य	शून्य

वित्तीय विवरणी (गैर-लाभ संगठन) का फार्म

संस्था का नाम : राष्ट्रीय बहु विकलाँग अधिकारिता संस्थान, मुत्तुकाडु,

31 मार्च, 2008 को समाप्त अवधि के लिए आय तथा व्यय की अंगस्वरूप अनुसूचियाँ

(राशि रु......में)

अनुसूची 20 - कार्यक्रमों और सेवाओं पर व्यय	चालू वर्ष	गत वर्ष
मानव संसाधन विकास	562,044	1,220,441
अनुसंधान एवं विकास	0	0
सेवा प्रतिमानों का विकास	1,089,691	878,060
कन्सलटेंसी सेवा	0	0
दस्तावेजीकरण एवं प्रचार-प्रसार	302,878	8,252,944
विस्तारण और अभिगम सेवाएँ	388,753	50,954
स्टाफ कल्याण व्यय **चालू वर्ष**	8,500	8,268
कुल	**2,351,866**	**10,410,667**

अनुसूची 20 क - स्थापना व्यय	चालू वर्ष	गत वर्ष
क) वेतन व मजदूरियाँ	3,401,917	2,258,216
ख) भत्ते व बोनस	2,607,960	0
ग) भविष्यनिधि में योगदान		
घ) अन्य निधि (विशिष्टतया बताएँ) में योगदान	285,621	0
ङ) कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति और आखिरी हित-लाभ	334,130	0
च) अन्य विशिष्टतया बताएँ : पीएंडजी लेखे को भुगतान	0	0
कुल	**6,629,628**	**2,258,216**

अनुसूची 20 ख - अन्य कार्यक्रम व्यय	चालू वर्ष	गत वर्ष
क) उत्तर पूर्वी राज्य	0	0
ख) एडीआईपी योजना	28,909,372	0
ग) पायलेट परियोजना	0	0
घ) अन्य व्यय	0	0
ङ) एआईडीपी खाते को अंतरण	0	0
कुल	**28,909,372**	**0**

वित्तीय विवरणी (गैर-लाभ संगठन) का फार्म
संस्था का नाम : राष्ट्रीय बहु विकलाँग अधिकारिता संस्थान, मुत्तुकाडु,
31 मार्च, 2008 को समाप्त अवधि के लिए आय तथा व्यय की अंगस्वरूप अनुसूचियाँ

(राशि रु......में)

	चालू वर्ष	गत वर्ष
अनुसूची 21 - अन्य प्रशासनिक व्यय आदि		
1. समर्थन सेवाओं पर व्यय	634,286	378,246
2. विद्युत और ऊर्जा	137,027	123,281
3. बीमा	24,277	0
4. अस्थायी भवनों की मरम्मत / नवीकरण	2,603,261	0
5. मरम्मत और रखरखाव	352,424	12,954
6. वाहन भाडा प्रभार	330,873	181,933
7. वाहनों की मरम्मत व रखरखाव	72500	0
8. डाक और टेलीफोन प्रभार	150136	89056
9. मुद्रण व लेखन सामग्री	285,471	39,376
10. यात्रा एवं सवारी व्यय	683,809	509,132
11. लेखा-परीक्षकों का पारिश्रमिक	0	0
12. आंतरिक लेखा परीक्षक - परामर्शी प्रभार	0	0
13 आस्तियों के विक्रय पर हानि	0	0
14. विज्ञापन और प्रचार	480,290	0
15. धन वापसियाँ	0	0
16. विविध व्यय	375,148	78,546
कुल	**6,129,502**	**1,412,524**

वर्ष 2007-08 के लिए प्रभारित मूल्यह्रास के ब्यौरे	
1. 1-4-2005 से 31-3-2008 तक की अवधि के लिए मूल्यह्रास के संशोधित आकलन	*1969627*
घटाएँ : वर्ष 2006-07 (2005-06 और 2006-07) वर्षों के लिए प्रभारित मूल्यह्रास	*847821*
वर्ष 2007-08 के लिए प्रभारित मूल्यह्रास	***1121806***

वित्तीय विवरणी (गैर-लाभ संगठन) का फार्म

संस्था का नाम : राष्ट्रीय मानसिक विकलाँग संस्थान, सिकंदराबाद,

31 मार्च, 2008 को समाप्त अवधि के लिए आय तथा व्यय की अंगस्वरूप अनुसूचियाँ

(राशि रु......में)

	चालू वर्ष	गत वर्ष
अनुसूची 22 - अनुदानों, परिदानों आदि पर व्यय क) संस्थाओं / संगठनों को दिये गये अनुदान ख) संस्थाओं / संगठनों को दिये गये परिदान		
कुल	**शून्य**	**शून्य**
टिप्पणी : हस्तियों के नाम, उनके कार्यकलापों सहित उन्हें अनुदानों / परिदानों के रुप में दी गयी राशियों सहित प्रकट करें।		

(राशि रु......में)

	चालू वर्ष	गत वर्ष
अनुसूची 23 - ब्याज a) क) नियत ऋणों पर b) ख) अन्य ऋणों पर (बैंक प्रभारों को शामिल करते हुए) c) ग) अन्य (विशिष्टतया बताएँ)		
कुल	**शून्य**	**शून्य**

अनुसूची-24

लेखा नीतियाँ

निम्न विषयों के संबंध में उचित लेखा बहियों का लेखा वर्ष 2005-06 और उसके आगे रखरखाव करने के लिए संस्थान द्वारा अनुसरण की जानेवाली लेखा नीतियाँ:

क) सभी प्रकार की धन प्राप्तियों और व्ययों तथा जिन मामलों के संबंध में प्राप्तियाँ और व्यय घटे हैं;

ख) सभी प्रकार के प्राप्त राजस्व / प्राप्त आय / वसूली योग्य और अदा किया गया व्यय / देय राशियाँ;

ग) सभी प्रकार के मालों के क्रय और विक्रय; और

घ) सभी आस्तियाँ और देनदारियाँ; सभी मामलों में संस्थान की सही और निष्कलंक छवि प्रस्तुत है ।

1. संस्थान की लेखा-बहियाँ, उनके निम्न आवश्यक पहलुओं के पूरा होना सुनिश्चित करने के लिए उपचित आधार पर, रखी जाएँगी (क) राजस्व को मान्यता नकद रूप में धन की प्राप्ति होने या न होने पर भी इसे अर्जित धन समझा जाए (ख) ऐसे राजस्वों से मेल खाते व्ययों-पर ।

2. चूँकि लेखा बहियों का रखरखाव उपचित आधार पर होता है कट ऑफ तिथि 15 अप्रैल मानी जाएगी ।

3. संस्थान की लेखा बहियाँ डबल एंट्री बुक कीपिंग पद्धति पर रखी जानी चाहिए ।

4. उचित अनुरक्षण और पहचान, लेखा-शीर्षों का कोडीकरण किया जाना चाहिए ।

5. निम्न प्रारूप में संस्थान की लेखा विवरणी तैयार की जानी चाहिए ।
   i) वर्ष 2007-08 के लिए प्राप्ति तथा भुगतान लेखा ।
   ii) वर्ष 2007-08 का आय तथा व्यय लेखा ।
   iii) 31 मार्च, 2008 को स्थित तुलन-पत्र ।

स्पष्टीकरण :

i) प्राप्तियों और भुगतानों का लेखा
   क) सभी वास्तविक प्राप्तियों को हिसाब में लिया गया ।
   ख) सभी वास्तविक व्ययों को हिसाब में लिया गया ।

ii) आय और व्यय खाता :
   मद की वास्तविक प्राप्तियों और भुगतानों के अतिरिक्त उपचित आय और बकाया देनदारियों को, उचित प्रस्तुतीकरण और आय तथा व्यय की समग्र स्थिति जानने के लिए, प्रत्येक लेखा शीर्ष में जोडा जाए ।

iii) 31 मार्च, 2008 को स्थित तुलन-पत्र:

देनदारियाँ	**आस्तियाँ**
1. पूँजी	1. मूल्यह्रास घटाकर नियत आस्तियाँ
2. प्रारक्षित ऋण	2. निवेश
3. प्रतिभूति ऋण	3. चालू आस्तियाँ,ऋण और अग्रिम राशियाँ
4. अप्रितिभूति ऋण	4. विविध व्यय (बट्टे खाते न डाले जाने की सीमा तक)
5. चालू देनदारियाँ	5. आय और व्यय लेखा

टिप्पणी: जहाँ कहीं आवश्यकता हो लेखों की अंगरूप अनुसूचियाँ तैयार करके लेखों के साथ संलग्न की जानी हैं।

मूल्यह्रास :

मूल्यह्रास प्रदान करते समय निम्नलिखित मार्गदर्शक सिद्धांतों का अनुपालन करना चाहिए :

i. दिनांक:1-4-2005 को या उससे पूर्व प्राप्त की गयी नियत आस्तियों पर वार्षिक आधार पर मूल्यह्रास प्रदान करना ।

ii. लिख लेने की मूल्य पद्धति लिख लेने की प्रणाली अपनाना ।

iii. वित्त वर्ष के दौरान सितंबर माह तक प्राप्त आस्तियों के लिए प्रतिशत के अनुसार हिसाब लगाया जाए । अक्तूबर से फरवरी तक प्राप्त आस्तियों के लिए मूल्यह्रास @50% दर से मूल्यहह्रास का हिसाब लगाना चाहिए । मार्च में प्राप्त आस्तियों पर मूल्यह्रास शून्य होगा ।

iv. लिख दी गयी मूल्य पद्धति के आधार पर प्रत्येक आस्ति की आयु और मूल्यह्रास की दरें नीचे दी गयी हैं:

क)	भूमि	:	कोई मूल्यह्रास नहीं	
ख)	भवन	:	50 वर्ष का जीवन	20% मूल्यह्रास
ग)	संयंत्र व मशीनरी	:	10 वर्ष	10% मूल्यह्रास
घ)	वाहन	:	6 वर्ष	15% मूल्यह्रास
च)	फर्नीचर व जुडनार	:	10 वर्ष	10% मूल्यह्रास
छ)	कार्यालय उपस्कर	:	10 वर्ष	10% मूल्यह्रास
ज)	कंप्यूटर और उपकरण	:	5 वर्ष	20% मूल्यह्रास
झ)	पुस्तकालय पुस्तकें	:	आयु नहीं	100% मूल्यह्रास

हस्ता /-

(डॉ.नीरदा चन्द्रमोहन)

निदेशक

अनुसूची-25

वार्षिक लेखों की अंगरुप टिप्पणियाँ

1. वार्षिक लेखों का संकलन केन्द्रीय स्वायत्त निकायों की वित्तीय विवरणियों के प्रारुप में तैयार किया गया है। (गैर-लाभ संगठन और इसी प्रकार के संस्थान)

   क) दिनांक: 31-03-2008 को स्थित तुलन-पत्र।

   ख) वर्ष 2007-08 के लिए आय तथा व्यय लेखा।

   ग) अनुसूचियाँ 1 से 25 तक प्रारुप के अनुसार।

   घ) वर्ष 2007-08 के लिए प्राप्तियों और भुगतानें का लेखा।

2. लेखों को उपचित (एक्रूअल) आधार पर तैयार किया गया है।

3. लिख लिये गये मूल्य पद्धति पर मूल्यह्रास दिया जा रहा है।

4. लेखा-नीतियाँ तैयार की गयीं और उनका अनुसार किया जा रहा है।

5. कुल प्राप्त रु.12,11,92,478/- की कुल प्राप्तियों (जिसमें आदिशेष, सहायता अनुदान, विशिष्ट उद्देश्यों के लिए अनुदान, अन्य संगठनों से प्राप्तियाँ, ऋण, अग्रिम और आंतरिक प्राप्तियाँ) में से विभिन्न कार्यकलापों पर खर्च की गयी राशि रु. 4,56,06,044/- और रु.12,99,440/- केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को अदा की गयी सिर्फ रु. 7,42,870,034/- को छोडकर जिनमें से रु.6.00 करोड पूँजीगत कार्यों के लिए 6 महीनों के लिए मीयादी जमा राशि के रुप में इंडियन बैंक, कोवलम शाखा, चेन्नै में रखी गयी और शेष नगद एनआईईपीएमडी के मुख्य बचत खाते में रु.50,53,186/-, एनआईईपीएमडी-एडीआईपी के बचत बैंक खाते में रु. 86,62,628/- और नये पेंशन आवर्ती रु.5,71,220/- जमा हैं।

6. वर्ष 2007-08 के लिए आस्तियों और भंडारों की भौतिक जाँच चल रही है।

7. मंत्रालय द्वारा जारी किये गये अनुदानों के लिए उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर दिया गया है और अब कोई उपयोगिता प्रमाण पत्र रुके पडे नहीं हैं।

8. आवश्यकता के अनुसार आँकडों को वर्गीकृत किया गया है।

9. वर्ष 2006-07 के लिए प्राप्त रु. 337.02 लाख रुपयों की सहायता अनुदान राशि को वर्ष 2006-07 के लेखों में शामिल करना छूट गया था। उसे वर्ष 2007-08 के लेखों में शामिल कर दिया गया है।

हस्ताक्षर

(डॉ.नीरदा चन्द्र मोहन)

निदेशक

वर्ष 2006-07 के लिए वेतन भत्तों के ब्यौरे

क्रम सं.	विवरण	राशि
1.	वेतन लेखा	2154778
2.	महँगाई वेतन	1114650
3.	नान प्रैक्टिसिंग वेतन	125726
4.	वैयक्तिक वेतन	6763
	वेतनों पर कुल	**3401917**
5.	समाचारपत्र भत्ता	18529
6.	मकान किराया भत्ता	791304
7.	नगर प्रतिपूर्ति भत्ता	73789
8.	महँगाई भत्ता	1351126
9.	परिवहन भत्ता	107632
10.	धोवन भत्ता	600
11.	चिकित्सा दावों की प्रतिपूर्ति	158800
12.	तदर्थ बोनस	2467
13.	छुट्टी का वेतन और पेंशन योगदान	103713
	भत्तों और बोनस पर कुल	**2607960**
14.	अर्जित छुट्टी का नकदीकरण	**334130**
15.	नया पेंशन योगदान	**285621**
	कुल	**6629628**

आय तथा व्यय लेखे के लिए प्रशासनिक व्ययों के ब्यौरे

क्रम सं.	विवरण	2006-07	2007-08
1.	समर्थन सेवाएँ सुरक्षा व साफ सफाई	378246	634286
2.	यात्रा और सवारी व्यय	509132	683809
3.	वाहन भाडा प्रभार	181933	330873
4.	टेलीफोन और डाक प्रभार	89056	150136
5.	मुद्रण व लेखन सामग्री	39376	285471
6.	विज्ञापन व प्रचार	0	480290
7.	आतिथ्य	17877	7595
8.	विद्युत प्रभार	123281	137027
9.	आस्तियों की मरम्मत और रखरखाव	12954	352424
10.	अन्य गैर-उपभोज्य भंडार	0	167329
11.	प्रकाशन और पत्रिकाएँ	11989	13872
12.	बैंक प्रभार	0	290
13.	स्कूल बस का आर एंड एम	0	72500
14.	फुटकर व्यय	48680	186062
15.	तात्कालिक भवनों की मरम्मत व नवीकरण	0	2603261
16.	बीमा	0	24277
	कुल	**1412524**	**6129502**

प्राप्तियों और भुगतान लेखा के लिए प्रशासनिक व्ययों के ब्यौरे

क्रम सं.	विवरण	2006-07	2007-08
1.	समर्थन सेवाएँ सुरक्षा व साफ सफाई	378246	634286
2.	यात्रा और सवारी व्यय	509132	683809
3.	वाहन भाडा प्रभार	181933	330873
4.	टेलीफोन और डाक प्रभार	89056	150136
5.	मुद्रण व लेखन सामग्री	39376	285471
6.	विज्ञापन व प्रचार	0	480290
7.	आतिथ्य	17877	7595
8.	विद्युत प्रभार	123281	137027
9.	आस्तियों की मरम्मत और रखरखाव	12954	352424
10.	अन्य गैर-उपभोज्य भंडार	0	167329
11.	प्रकाशन और पत्रिकाएँ	11989	13872
12.	बैंक प्रभार	0	290
13.	स्कूल बस का आर एंड एम	0	72500
14.	फुटकर व्यय	48680	186062
15.	तात्कालिक भवनों की मरम्मत व नवीकरण	0	0
16.	बीमा	0	24277
	कुल	**1412524**	**3526241**

अनुसूची सं.20ए के अंतर्गत प्रोग्राम और सेवाओं पर व्यय के ब्यौरे

क्रम सं.	विवरण	2006-07	2007-08
1.	मानव संसाधन विकास:		
	दीर्घावधि प्रशिक्षण कार्यक्रम	783344	289814
	लघु-अवधि प्रशिक्षण कार्यक्रम	437097	272230
2.	अनुसंधान और विकास	0	0
3.	सेवा प्रतिमानों का विकास	878060	1089691
4.	जागरुकता कार्यक्रम का सृजन	8252944	302878
5.	मानसिक अक्षमता पर राष्ट्रीय कार्यशाला	0	388753
6.	विस्तार और पहुँच सेवाएँ	50954	0
7.	स्टाफ कल्याण व्यय	8268	8500
	कुल	**10410667**	**2351866**

प्राप्ति और भुगतान लेखे के लिए पूँजीकृत आस्तियों के प्रापण के ब्यौरे

क्रम सं.	विवरण	2006-07	2007-08
1.	भूमि तथा भवन	0	0
2.	कंप्यूटर और संबंधित सामग्री	249964	283925
3.	संयंत्र व मशीनरी	985612	1368146
4.	कार्यालय उपकरण	274784	189030
5.	फर्नीचर और जुडनार	981356	330400
6.	मोटर वाहन	0	1180263
7.	पुस्तकालय पुस्तकें	0	480673
	कुल	**2491716**	**3832437**

राष्ट्रीय बहु विकलाँग अधिकारिता संस्थान के सामान्य परिषद और कार्यकारी परिषद का संविधान

1.	सचिव, भारत सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय नई दिल्ली - 110 001	अध्यक्ष
2.	चेयरपर्सन, राष्ट्रीय न्यास नई दिल्ली	सदस्य
3.	चेयरपर्सन भारतीय पुनर्वास परिषद नई दिल्ली	सदस्य
4.	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, विषय से संबंधित संयुक्त सचिव, भारत सरकार,नई दिल्ली	सदस्य
5.	श्री पी.के.सिन्हा, आईएएस वित्त सलाहकार और अपर सचिव, भारत सरकार,नई दिल्ली	सदस्य
6.	महा निदेशक, रोजगार एवं प्रशिक्षण श्रम मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली	सदस्य
7.	श्री अमिताभ मेहरोत्रा गुरुदया निवास, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)	सदस्य
8.	डॉ. एस.एस.बद्रीनाथ शंकर नेत्रालय, चेन्नै (तमिलनाडु)	सदस्य
9.	श्री. ए.बालराज अन्ना नगर, चेन्नै - 600 102	सदस्य
10.	सुश्री नंदिता गुर्जर बीपीओ डिविजन, इन्फोसिस, बैंगलूरु	सदस्य
11.	श्री एन.थोमस न्युगुल्ली सीएटीजेड डब्ल्यु लेक व्यू, खेर मोहल, दीमापुर, नागालैंड	सदस्य

12.	डॉ. कल्याण कृष्णन भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आई.आई.टी. डाकघर, चेन्नै (तमिलनाडु)	सदस्य
13.	महा निदेशक स्वास्थ्य सेवाएँ भारत सरकार, नई दिल्ली	सदस्य
14.	प्रधान सचिव समाज कल्याण विभाग तमिलनाडु सरकार	सदस्य
15.	प्रधान सचिव और निदेशक चिकित्सा सेवाएँ तमिलनाडु सरकार	सदस्य
16.	संयुक्त सचिव, भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली	सदस्य
17.	निदेशक, अलीयावरजंग राष्ट्रीय श्रवण विकलॉग संस्थान मुंबई	सदस्य
18.	निदेशक राष्ट्रीय मानसिक विकलॉग संस्थान, सिकंदराबाद	सदस्य सचिव
19.	निदेशक राष्ट्रीय दृष्टि विकलॉग संस्थान, देहरादून	सदस्य
20.	निदेशक राष्ट्रीय हड्डी के रुप से विकलॉग व्यक्ति संस्थान, कोलकता	सदस्य
21.	निदेशक राष्ट्रीय बहु विकलॉग व्यक्ति अधिकारिता संस्थान, ईस्ट कोस्ट मार्ग, मुत्तुकाडु, कोवलम डाक, चेन्नै, तमिलनाडु.	सदस्य सचिव

राष्ट्रीय बहु विकलॉंग अधिकारिता संस्थान के कार्यकारी परिषद के निम्न लिखित सदस्य

1.	संयुक्त सचिव, भारत सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली	अध्यक्ष
2.	वित्त सलाहकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली	सदस्य
3.	निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग भारत सरकार, नई दिल्ली	सदस्य
4.	श्री सी.अरुण कुमार चेन्नै.	सदस्य
5.	डॉ. डी. नागराज, निदेशक, निम्हैन्स, बेंगलूरु	सदस्य
6.	निदेशक राष्ट्रीय बहु-विकलॉंग व्यक्ति अधिकारिता संस्थान	सदस्य सचिव

राष्ट्रीय बहु विकलाँग अधिकारिता संस्थान की शैक्षणिक समिति का गठन

1.	प्रो.पी.जयचंद्रन	निदेशक, विजया मानव सेवाएँ, चेन्नै
2.	डॉ. ए.के.मित्तल	भूतपूर्व क्षेत्रीय निदेशक, एनआईवीएच, चेन्नै
3.	सिस्टर डॉ रीटा मेरी	गाइडंस होम फॉर दि अडल्ट डेफ गर्ल्स, चेन्नै
4.	डॉ. विजयलक्ष्मी मैरेड्डी	विशेष शिक्षा प्राध्यापक एनआईएमएच, सिकंदराबाद
5.	श्री अखिल पाल	निदेशक, सेन्स इंटरनेशनल, अहमदाबाद
6.	डॉ. करुणानिधि	विभागाध्यक्ष, मनोविज्ञान यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, चेन्नै
7.	प्रो. रंगास्वामी	प्रधानाचार्य व समन्वयक स्वीकार-उपकार, पुनर्वास संस्थान, हैदराबाद
8.	प्रो. रूपा नागराज	विभागाध्यक्ष, वाणी एवं श्रवण विभाग, रामचन्द्र मेडिकल कॉलेज, चेन्नै
9.	डॉ. पुरुषोत्तम	फ्रीलांस साइकोलिंग्विस्ट बैंगलोर
10.	डॉ.रत्ना	भूतपूर्व निदेशक एआईआईएसएच, बैंगलोर
11.	डॉ.नीरदा चंद्रमोहन	निदेशक, रा.ब.वि.अ.सं. संयोजक

अनुबंध - 1

वर्ष 2007-08 के दौरान डीएसई (प्रम.पक्षा.)
पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा करने वाले उम्मीदवारों की सूची

क्रम सं	विद्यार्थी का नाम
1.	सुश्री नैनोर अर्चना द्यानेशवर
2.	श्री विक्टर करकेटा
3.	सुश्री जी.जोन्स कैथरीन
4.	श्री मिखाइल सुरीन
5.	सुश्री ए.बृन्दा
6.	सुश्री एन.वसुमति
7.	सुश्री जी.जयचित्रा
8.	श्री दिवे खेश रमेश
9.	सुश्री सेल्वी
10.	सुश्री वी.विजया

अनुबंध - 2

वर्ष 2007-08 के दौरान डीएसई (बधिर-अंध)
पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा करने वाले उम्मीदवारों की सूची

क्रम सं	विद्यार्थी का नाम
1.	सुश्री पी.गायत्री
2.	श्री वी.गायत्री
3.	श्री एन.गुरुस्वामी
4.	सुश्री जी.जैस्मीन सुगुणा रुबी
5.	श्री पंकज दीक्षित
6.	सुश्री ए. प्रिन्सी
7.	सुश्री आर. राजलक्ष्मी
8.	श्री आर.सत्यप्रकाश चौधरी
9.	सुश्री सत्यवाणी
10.	श्री एम.सेल्वकुमार

अनुबंध-3

2007-08 (31 मार्च, 2008 तक) की अवधि के दौरान भरे गये नियमित पदों के ब्यौरे

क्रम सं.	नाम श्रीमती/श्री	किस पद पर नियुक्त पदभार संभालने के तिथि	एनआईईपीएमडी में
1.	बी.एस.संतोष कन्ना	प्राध्यापक भौतिक चिकित्सा	09-04-2007
2.	जे.वी.सुब्बरामन	पुनर्वास अधिकारी (प्रौढ स्वतंत्र जीवन)	20-04-2007
3.	एस.के.सामी	प्रो.सहायक (संपदा व अनुरक्षण)	23-04-2007
4.	के.बालभास्कर	प्राध्यापक (स्वतंत्र जीवन)	01-05-2007
5.	आई.जी. अनुसूया	पुन.अधिकारी (विशेष शिक्षा)	07-05-2007
6.	एस.वेंकटेश्वरन	प्रोग.सहायक (स्थापना)	07-05-2007
7.	के.धनवेन्दन	विशेष शिक्षक (प्रम.पक्षाघात)	23-05-2007
8.	यू.सुनिल कुमार	प्रोगा.सहायक (भंडार व क्रय)	23-05-2007
9.	एस.गुरुमूर्ति	पुन.अधिकारी (चिकित्सीय)	10-12-2007
10.	एम.कतिवरन	विशेष शिक्षक (आत्मविमोह)	11-12-2007
11.	डी.स्टालिन अरुल रीगन	विशेष शिक्षक (बधिर-अंध)	11-12-2007
12.	जे.मोहम्मद इब्राहीम	प्रोग्रा.सहायक (लेखे)	07-01-2008
13.	पी.एजिलीना गोल्डा (प्रशि.प्रोग्रा.शैक्षणिक)	प्रोग्रा.सहायक	24-01-2008
14.	एस.कार्तिकेयन	पुन.मनोविज्ञान में प्राध्यापक	06-02-2008
15.	आर.शांति	लेखा अधिकारी (प्रतिनियुक्ति पर)	08-02-2008
16.	सुश्री एस.सोभिया वाणी	विशेष शिक्षक (ईसीएससी)	27-03-2008

डीएसई प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात

सिद्धांत पत्र

1. चिकित्सा पहलू
   मौलिक एनाटोमी और फिजियालाजी मस्क्यूस्केलिटल प्रणाली, जेनेटिक्स, पैथालाजी, चिकित्सीय पुनर्वास

2. शिशु विकास, मनोविज्ञान और पुनर्वास
   सामान्य बाल विकास, मनोविज्ञान-परिचय, व्यापकता, याददाश्त, सीखना, प्रेरणा, बुद्धि, परामर्श ।

3. मूल्य-निर्धारण, भौतिक और क्रियात्मक प्रबंधन
   भौतिक चिकित्सा-परिचय, सामान्य मोटर विकास, प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात, प्रबंधन तकनीकियाँ, सहायता उपकरण।

4. संचार, श्रवण, भाषा और वाणी
   संचार, श्रवण, भाषा, वाणी, वाणी और श्रवण व्यतिक्रम, मूलय निर्धारण, वैकल्पी और संवर्धी संचार, आत्मविमोह वाणी व्यतिक्रम और इसका प्रबंधन संवेदी एकीकरण ।

5. प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात से पीडित बच्चों के लिए शिक्षा
   शिक्षा-परिचय (सामान्य शिक्षा और विशेष शिक्षा) सीखने की अवस्था में आनेवाली समस्याएँ, संवैधानिक, मूल्य निर्धारण, अनुदेश, व्यवहार तरमीय, वैयक्तिकृत शैक्षणिक कार्यक्रम, सम्मिलित शिक्षा, अकादमीय कौशल, डिस्लेक्सिया, पूर्वपेशेवर कौशल सिखाना, पेशेवर पुनर्वास, सामुदाय आधारित पुनर्वास

प्रायोगिक

1. मूल्य निर्धारण, भौतिक और क्रियात्मक प्रबंधन
2. संचार, श्रवण, भाषा और वाणी
3. प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात से पीड़ित बच्चों के लिए शिक्षा
4. परियोजनाएँ
5. नियत कार्य

अनुबंध-5

डीएसई का पाठ्यक्रम (बधिर अंध)

सिद्धांत पत्र

1. बधिर अंधत्व - परिचय
   अक्षमताओं का परिचय - व्याख्या, और संकल्पना, कान की एनाटोमी और फिजियालोजी, बधिर -अंधत्व के कारण, सीएनएस-संवेदी मोटर प्रणाली, नियंत्रण और समन्वयन बधिर - अंधत्व का बढ़ते जाना उसके प्रभाव और उलझाव ।

2. मूल्य निर्धारण और मूल्यांकन
   पैमाना, मूल्य - निर्धारण और मूल्यांकन, मूल्य निर्धारण (क्लिनिकल और क्रियात्मक), क्रियात्मक मूल्य निर्धारण की कार्यविधि, बधिर-अंधत्व / बहु विकलॉग बच्चे का मूल्य निर्धारण और मूल्यांकन, व्यावसायिक कौशलों का मूल्य निर्धारण, अवशिष्ट संवेदना का मूल्य निर्धारण ।

3. संचार
   संचार की संकल्पना, भाषा प्राप्ति और अभिव्यक्तिपूर्ण - विकासशील, बधिर अंध बच्चे के लिए संरचित भाषा, संचार की विभिन्न विधियॉ, प्रारंभिक और प्रभावी संचार का महत्व, सहायक संचार उपकरण, व्यवहारीय प्रबंधन.

4. अनुदेशीय युक्तियॉ और मध्यस्थताएं
   वाणी प्रशिक्षण और श्रवण संबंधी पुनर्वास, अनुदेशीय आयोजना क्लासरुम प्रबंधन और अभिकल्पना चिकित्सीय और पाठ्यक्रम संबंधी कार्यकलाप, अभिमुखीकरण और हलचल, बधिर - अंध को पढ़ाते समय बहुसंवेदी अभिगम का उपयोग, स्वतंत्रता बढ़ाना, एडीएल कौशल, बधिर-अंधत्व - परिप्रेक्ष्य और अभ्यास, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, बधिर अंध के लिए सेवा प्रदान करने वाला मॉडल्स, अक्षमताओं वाले लोगों के विशेष संदर्भ में नीतियॉ और विधान, सेवा में भागीदारी, बधिर अंध का विशेष टीचर, बधिर अंध का पुनर्वास ।

प्रायोगिक

1. मूल्य निर्धारण और मूल्यांकन
2. अभिमुखीकरण और हलचल
3. संचार
4. पढ़ाई के लिए सहायक टीचिंग किड्स
5. अभ्यास पढ़ाई
6. केस अध्ययन
7. परियोजना कार्य
8. विशेष सहायता सामग्रियों का उपयोग ।

अनुबंध-6

वर्ष 2007-08 के दौरान संचालित लघु अवधि प्रशिक्षण कार्यक्रम

क्र. सं.	शीर्षक	अवधि	प्रतिभागियों की संख्या
1.	प्राथमिक स्कूल टीचरों के लिए विकलॉंगताओं पर संवेदीकरण कार्यक्रम	30 अप्रैल, 2007	16
2.	प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात से ग्रस्त बच्चों के लिए गेइट विश्लेषण और प्रशिक्षण	8 से 10 मई 2007	21
3.	बधिर-अंधत्व से ग्रस्त बच्चों का कक्षा प्रबंधन	4 से 29 जून, 2007	15
4.	एकात्मता /शामिल करने के लिए काम करनेवाले स्कूल टीचरों और विशेष टीचरों के लिए विकलॉंगता पर संवेदीकरण कार्यक्रम	25 जून, 2007	15
5.	विकलॉंगता के क्षेत्र में कार्यरत व्यावसायिकों के लिए परामर्श	23 से 25 जुलाई, 2007	33
6.	प्राथमिक स्कूल टीचरों के लिए विकलॉंगता पर संवेदीकरण कार्यक्रम	30 अगस्त, 2007	13
7.	वाणी, भाषा और श्रवण अक्षमताओं पर संबंद्ध व्यावसायिकों के अभिमुखीकरण	22 से 24 अक्तूबर 2007	28
8.	प्रमस्तिष्कीय पक्षाघातवाले बच्चों में मोटर क्रिया के विकास के लिए सरलीकरण तकनीक	3 से 7 दिसंबर, 2007	59
9.	पालकों के लिए पालक प्रशिक्षण कार्यक्रम	4 से 5 दिसंबर, 2007	127
10.	गैर सरकारी संगठनों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम	6-7 दिसंबर, 2007	56
11.	विकलॉंगताओं से ग्रस्त व्यक्तियों के साथ काम करनेवाले व्यावसायिकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम	8 दिसंबर 2007	52
12.	बहु विकलॉंगताओं पर अभिमुखीकरण और संवेदीकरण कार्यक्रम	24 जनवरी 2008	35
13.	पी टी और एम डी पर अभिमुखीकरण कार्यक्रम	29 जनवरी 2008	100
14.	बहु विकलॉंग व्यक्तियों पर अभिमुखीकरण और संवेदनीकरण कार्यक्रम	31, जनवरी 2008	168
15.	बहु विकलॉंग व्यक्तियों के लिए पाठ्यक्रम और अनुदेश	11 से 15, फरवरी 2008	15
16.	बहु विकलॉंगताओं पर अभमिुखीकरण और संवेदनीकरण कार्यक्रम	13, फरवरी 2008	100
17.	स्वतंत्र जीवन के लिए स्व-निगरानी और अनुकूलन	19-20, फरवरी 2008	22
18.	पालकों और स्टाफ को कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम	22, फरवरी 2008	118
19.	बहु विकलॉंग व्यक्तियों की अधिकारिता और प्रबंधन	25 से 29, फरवरी 2008	595
20.	बहु विकलॉंग व्यक्तियों का व्यावरारिक प्रबंधन	25 से 29, फरवरी 2008	11
21.	संवेदी एकीकरण हलाज	4 से 5, मार्च 2008	12
22.	व्यावसायिकों, गैर सरकारी संगठनों और पालकों का प्रशिक्षण	5 से 6, मार्च 2008	350
23.	बहु वकिलॉग व्यक्तियों के प्रबंधन के लिए चिकित्सीय अभ्यास	10 से 14, मार्च 2008	35
24.	बहु विकलॉग प्रौढ़ व्यक्ति की आवश्यकताओं को समझना	26 से 28, जून 2008	27
25.	प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात से ग्रस्त बच्चों को संभालने के लिए विशिष्ट अभिगम और तकनीकियाँ	24 से 28, सितंबर 2008	28

NIEPMD

राष्ट्रीय बहु विकलाँग व्यक्ति अधिकारिता संस्थान

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार)

ईस्ट कोस्ट मार्ग, मुत्तुकाडु, कोवलम डाक, चेन्नै - 603 112.

दूरभाष : 044-27472113, 27472104 फैक्स : 044-27472389

ई.मेल : niepmd@gmail.com वेबसाइट : www.niepmd.tn.nic.in